## अध्याय -1

### मतदाता सूचि तैयार करने के लिये प्रशासनिक तन्त्र तथा कानूनी प्रावधान

त्रि–स्तरीय पंचायतों (अर्थात् ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद्) के निर्वाचन के लिये मतदाता सूचि तैयार कराने और निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण का दायित्व संविधान के अनुच्छेद "243–ट" के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है। ठीक ऐसा ही आनुषंगिक प्रावधान हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 212 में भी है ।

त्रिस्तरीय पंचायतो की मतदाता सूचि की बुनियादी ईकाई "ग्राम पंचायत" के लिये तैयार की गई वार्डवार मतदाता सूचि रहती है, पंचायत समिति तथा जिला परिषद् के लिये मतदाता सूचियां, उनके निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाली विभिन्न ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों से मिलकर बनती है ।

**प्रशासनिक तन्त्र**

हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994 के नियम 2 (घ ) में प्रत्येक जिले में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने के लिये राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से उपायुक्त को पदेन जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) नियुक्त किया गया है ।

आयोग द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार मतदाता सूचियां तैयार करने का दायित्व जिला निर्वाचन अधिकारी का है, उसके नियन्त्रण और सर्वोपरि समन्वयकारी भूमिका के अन्तर्गत प्रत्येक खण्ड के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों की सूचियां तैयार करने, उन्हें प्रकाशित करने, उनके सम्बन्ध में दावे और आपतियां प्राप्त करने और उनका निपटारा करके सूचियों को अन्तिम रूप देने का कार्य हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 2 (ड.) में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जाता है ।

1. जिला निर्वाचन (इलैक्ट्रोल) अधिकारी की नियुक्ति हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 2 (ड.) के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की जाती है। वर्तमान समय में यह शक्तियां राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा आयोग की अधिसूचना कमांक एस0ई0सी0/2ई–III/2004/ 14088–14128 दिनांक 09/12/2004 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को प्रदत की गई हैं जो कि उक्त पद पर किसी एच0सी0एस0 अधिकारी, जिला राजस्व अधिकारी, उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) व जिला मुख्यालय के अन्य किसी अधिकारी जिसके पास कलैक्टर/मैजिस्ट्रेट की शकित्यां हों, को इस पद पर नियुक्त कर सकता है तथा सभी खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारियों को उनके सम्बन्धित कार्य क्षेत्रोंके लिए उप जिला निर्वाचन/इलैक्ट्रोरल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
2. जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी तथा खण्ड स्तर पर नियुक्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक निर्देश तथा मार्गदर्शन देने

*तथा उनके कार्य के पर्यवेक्षण एवं प्रगति की समीक्षा करने के लिये पूर्णरूपेण उतरदायी है, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के प्रमुख कर्तव्य निम्नाकिंत है :–*

(1) *प्रत्येक खण्ड या उसके किसी विर्निदिष्ट भाग के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियां तैयार करने के लिये कर्मचरियों की नियुक्ति करना और उन्हें आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना और उनके कार्य का पर्यवेक्षण करना।*

(2) *मतदाता सूचियों के प्रारभिंक प्रकाशन के लिये आवश्यक प्रचार–प्रसार करना।*

(3) *मतदाता सूचियों का आम नागरिकों द्वारा निरीक्षण करने तथा दावे और आपतियां प्राप्त करने के लिये केन्द्र (स्थान) निर्धारित करना और वहां पर आवश्यक प्रशासकीय व्यवस्था सुनिश्चित करना।*

(4) *निर्धारित केन्द्रो (स्थानों ) पर नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों के चयन और उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना और उन्हें आवश्यक प्ररूप (फार्म ) अन्य कागजात तथा सामग्री उपलब्ध कराना।*

(5) *दावों तथा आपतियों के निराकरण के उपरान्त अतिंम रूप से तैयार की गई मतदाता सूचियों के मुद्रण की व्यवस्था करना तथा मुद्रण के उपरान्त सूचियों का अतिम प्रकाशन करना।*

(6) *अतिमं रूप से प्रकाशित मतदाता सूचियां, सभी कागज पत्रो सहित (जिनमें प्रारंभिक मतदाता सूचि, प्राप्त दावों और आपतियों से सम्बन्धित प्रकरण और उनमें पारित आदेश सम्मिलित हैं ) जिला निर्वाचन कार्यालय में प्राप्त करना और उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखना।*

(7) *अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूचियों का सशुल्क निरीक्षण करने या उनके किसी अशं की प्रमाणित प्रति प्रदाय करने तथा सूचियों के विकय की व्यवस्था करना ।*

***कानूनी प्रावधान :–***

(1) ***अधिनियम** :– हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत सभी मतदाताओ की अर्हता या निरर्हता तथा मतदाता सूचि (निर्वाचक नामावली) में नाम सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में जो प्रावधान है, उनका उद्धरण **परिशिष्ट–एक** पर है।*

(2) ***नियम**:– उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये "निर्वाचन नियम" हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 कहलाते हैं, इन नियमों के अन्तर्गत सूचि तैयार करने से सम्बन्धित प्रावधान **परिशिष्ट–दो** पर उद्धृत है।*

***पदाभिहित अधिकारी :–***

*राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा जिस अधिसूचना के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने कि शक्तियां प्रदत की गई है, उसका विवरण परिशिष्ट–तीन पर है :–*

***मतदाता सूचि में नाम सम्मिलित किये जाने के लिए अर्हता और निरर्हता :–***

(i) *प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिये मतदाता सूचि वार्डवार तैयार की जायेगी।*

(ii) *मतदाता सूचि तैयार करने के लिये अर्हकारी तारीख (क्वालीफाईंग डेट) उस वर्ष की पहली जनवरी होगी, जिस वर्ष में उसे तैयार किया जाये।*

(iii) *मतदाता सूचि में नाम दर्ज किये जाने के लिए अर्हता :–*

*कोई भी व्यक्ति मतदाता सूचि में नाम दर्ज किये जाने का हकदार होगा यदि वह–*

(*क*) *अर्हककारी तारीख को (अर्थात् उस वर्ष के जनवरी माह के प्रथम दिन) 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है,*

(*ख*) *उस ग्राम पंचायत के क्षेत्र का मामूली तौर पर से निवासी (अर्थात् सामान्यता निवासी) है, और*

(*ग*) *विधान सभा की निर्वाचक नामावली में (जो कि उक्त ग्राम पंचायत से सम्बन्धित हो ) नाम दर्ज किये जाने के लिये अन्यथा अर्हित है,*

(iv) *मतदाता सूचि में नाम दर्ज किये जाने के लिये निरर्हता :–*

*कोई भी व्यक्ति मतदाता सूचि में नाम दर्ज किये जाने के लिये अयोग्य (निरर्हित ) होगा यदि वह –*

(*क*) *भारत का नागरिक नहीं है, या*

(*ख*) *पागल (विकृतचित का ) है या सक्षम न्यायालय द्वारा उसे ऐसा घोषित किया गया है, या*

(*ग*) *सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1995 (1955 के अधिनियम 22) के अधीन किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया है, जब तक की उसकी दोषसिद्धि के समय से पांच वर्ष की कालावधि या ऐसी कम कालावधि जिसे राज्य सरकार किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करें, नहीं बीत गई हो, या*

(*घ*) *निर्वाचन के सम्बन्ध में भ्रष्ट आचरणों तथा अन्य अपराधों से सम्बन्धित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन मतदान करने के लिये तत्समय निरर्हित है, और*

(*ङ*) *जो फिलहाल चुनाव के सम्बन्ध में, भ्रष्टाचार या अन्य आरोपों से सम्बन्धित किसी कानून के अन्तर्गत मतदान के लिये अयोग्य है,*

(v) *किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम, जो कि नाम दर्ज कर लिये जाने के पश्चात निरर्हित हो जाता है, उस मतदाता सूचि में से, जिसमें कि वह नाम सम्मिलित है, तत्काल काट दिया जायेगा–*

*परन्तु किसी व्यक्ति का नाम, जो कि निरर्हता के कारण मतदाता सूचि में से काटा गया है, उस सूचि में उस परिस्थिति में तत्काल पुनः स्थापित कर दिया जायेगा ऐसी निरर्हता समाप्त हो जाये या विधिवत हटा दी गई हो ।*

## *अध्याय–2*

## *मतदाता सूचि तैयार करना*

1. ***पंचायतों के साधारण निर्वाचन के लिये मतदाता सूचि तैयार करना :–***

*त्रि–स्तरीय पंचायतों के साधारण निर्वाचन आम चुनाव के लिये मतदाता सूचि, विधान सभा की प्रचलित निर्वाचक नामावली (अर्थात् तत्समय प्रभावशाली निर्वाचक नामावली ) के आधार पर, ग्राम पंचायतवार तैयार की जायेगी, इस हेतू जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा जिले के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र की, प्रचलित निर्वाचक नामावली की चार प्रतियां और डाटाबेस सी0डी0 जिला कार्यालय की निर्वाचन शाखा से प्राप्त की जाये और उसे खण्डवार भागो में बांटा जाये, तत्पश्चात् प्रत्येक खण्ड से सम्बन्धित भाग सम्बन्धित खण्ड स्तरीय जिला निर्वाचन/इलैक्ट्रोल अधिकारी को तथा जिला स्तर पर नियुक्त किये गये जिला निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराया जाये, सभी खण्ड जिला विकास अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा निर्वाचक नामावली की खण्डवार प्रतियां तैयार कराते समय इस बात की सावधानी से जांच की जाये कि वे पूर्ण और सुसंगत है और उनके साथ संलग्न अनुपूरक सूचियां भी लगी है ।*

*प्राप्त निर्वाचक नामावली के आधार पर जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा अपने कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों की वार्डवार मतदाता सूचियां तैयार करने का कार्य हाथ में लिया जाये इस कार्य में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सम्बन्धित खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी (पंचायत) की सहायता ले ली जाये, सामान्तया प्रत्येक जिला निर्वाचन अधिकारी को एक पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित कार्य का दायित्व सौपां गया है परन्तु जिला निर्वाचन अधिकारी के रिक्त पद होने पर उस खण्ड की निर्वाचक नामावली बनवाने का कार्य जिला स्तर पर नियुक्त जिला निर्वाचन अधिकारी या खण्ड विकास अधिकारी द्वारा इस हेतू प्राधिकृत अधिकारी को सौंपा जा सकता है। यह कार्य खण्ड कार्यालय में निम्नानुसार सम्पन्न किया जाये :–*

(i) *सर्वप्रथम विधानसभा की निर्वाचक नामावली में प्रत्येक ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों को चिन्हित किया जाये और फिर प्रत्येक ग्राम में सम्मिलित मकानों की अवस्थिति (लोकेशन ) के अनुसार उनके समक्ष, हाथ से उस वार्ड का कमांक (नम्बर) लिखा जाये जिसके अन्तर्गत वे मकान आते हैं ।*

(ii) *तत्पश्चात् प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिये, उसके विभिन्न वार्डो के अन्तर्गत आने वाले मकानों और मतदाताओं की संख्या का ब्यौरा दर्शाने वाला एक "आधार–पत्रक" **परिशिष्ट–चार** के अनुसार तैयार किया जाये।*

(iii) *उपरोक्तानुसार तैयार किये गये आधार–पत्रक का मौके पर, वार्डो की अधिसूचित सीमाओं के साथ मिलान किया जाये, ऐसा करना इसलिये आवश्यक है ताकि किसी वार्ड की अधिसूचित सीमा के अन्दर स्थित कोई भी मकान/आवास स्थान उस वार्ड की मतदाता सूचि में सम्मिलित होने से रह न जाये और न ही उसमें ऐसा कोई मकान/आवास स्थान सम्मिलित होने पाये जो वस्तुतः उस*

*वार्ड की अधिसूचित सीमा के अन्तर्गत न होकर, उसके बाहर (अर्थात् किसी अन्य वार्ड में) स्थित है मिलान का यह कार्य जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सम्बन्धित हल्का पटवारी और ग्राम पंचायत के सचिव की संयुक्त टीम से कराया जाये, मिलान में कोई गलती प्रतिवेदन की जाने पर जिला निर्वाचक अधिकारी द्वारा वार्ड की मतदाता सूचि को तदनुसार सुधार लिया जाये।*

2. ***मतदाता सूचि की हस्तलिखित प्रति तैयार करना :–***

*आधार पत्रक (परिशिष्ट–चार) की जांच पड़ताल हो जाने पर प्रत्येक ग्राम पंचायत की मतदाता सूचि की हस्तलिखित प्रति तैयार करने के कार्य के लिये जिला निर्वाचक अधिकारी सम्बन्धित खण्ड के खण्ड विकास एवं पचांयत अधिकारी/पंचायत अधिकारी सहित विभिन्न शासकीय कार्यालयों से कुछ चुने हुये कर्मचारियो को पूर्व निर्धारित तारीख/तारीखो को अपने कार्यालय या खण्ड मुख्यालय में एक साथ बुलाया जाये। इस कार्य हेतू उन्हीं कर्मचारियों का चयन किया जाये जिनका हस्तलेखन अच्छा हो। चयनित प्रत्येक कर्मचारी को 5 से 10 ग्राम पंचायतों की हस्तलिखित प्रति तैयार करने का कार्य सौपां जाये, यह कार्य जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपनी स्वंय की देखरेख में सम्पन्न कराया जाये ।*

*हस्तलिखित प्रति तैयार करने का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विधान सभा की निर्वाचक नामावली के सम्बन्धित भाग अनुक्रमांक के साथ संलग्न अनुपूरक सूचि में दर्ज परिवर्धन (अर्थात् जोड़े हुये अतिरिक्त नाम), संशोधन (अर्थात् प्रविष्टियों में की गई त्रुटियों का सुधार) तथा विलोपन (अर्थात् नामावली में से विलोपित नाम) मूल सूचि में एकीकृत) इन्टीग्रेट कर दिये जाएं, दूसरे शब्दो में अनुपूरक सूचि में जो भी परिवर्धन दर्ज हो उन्हें मूल निर्वाचक नामावली में सही स्थान पर अर्थात् (सुसंगत मकान नम्बर के पास) लाल स्याही से दर्ज किया जाए। इसी प्रकार निर्वाचक नामावली की प्रविष्टियों (अर्थात् मकान नम्बर नाम पिता/पति का नाम तथा आयु ) में त्रुटियों के सुधार से सम्बन्धित जो संशोधन हुये हो, उन्हें भी मूल नामावली में यथास्थान लाल स्याही से सुधार दिया जाये। ठीक इसी प्रकार, जो नाम मृत्यु या ग्राम छोडकर चले जाने से या पात्रता न रहने के कारण अनुपूरक सूचि मे विलोपन शीर्ष के अन्तर्गत दर्ज हो, वे यदि मूल नामावली में लाल स्याही से न कटे हुये हो तो उन्हें लाल स्याही से काट दिया जाये तदपुरान्त नामावली के सम्बन्धित भाग अनुक्रमांक में सम्मिलित मतदाताओ के सरल क्रमांक (सिरियल नम्बर )सिलसिलेवार 01 से अन्त तक नये सिरे से लिख दिए जाएं।*

*उपरोक्त कार्यवाही सम्पन्न हो जाने के पश्चात आधार पत्रक **परिशिष्ट–चार** के आधार पर ग्राम पंचायत की मतदाता सूचि की वार्डवार हस्तलिखित प्रति **परिशिष्ट–पांच** के अनुसार तैयार की जाए। हस्तलिखित प्रति में प्रविष्टियों का क्रम निम्नानुसार रहेगा :–*

| क्र.0 संख्या | ______20.. को अन्तिम प्रकाशित विधान सभा मतदाता सूचि का क्रमांक | मकान नम्बर | मतदाता का नाम | पिता/पति का नाम | पुरूष/स्त्री | आयु 1जन. 20.. | भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये पहचान पत्र का क्रमांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

*हस्तलिखित प्रति में प्रविष्टियों को रंनिंग मैटर की तरह दो सतम्भो (कालमज) में लिखा जाये और प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर बांई ओर ग्राम पंचायत का नाम तथा बीच में पृष्ठ कमांक लिखा जाए सूचि में सम्मिलित प्रत्येक वार्ड का कमांक कोष्टक में सम्बन्धित गांव के नाम सहित, सूचि की शुरूआत में, एक उप शीर्षक के तौर पर, बड़े अक्षरो में अंकित किया जाये जिससे यह आसानी से देखा जा सके कि सूचि में कौन सा वार्ड, किस गांव में है और कहां से (अर्थात् किस गृह कमांक से शुरू हो रहा है ) और कहां पर समाप्त हो रहा है, प्रत्येक ग्राम पंचायत की हस्तलिखित प्रति के प्रथम पृष्ठ के शुरू के आधे भाग को कोरा छोड दिया जाये ताकि सूचि पूरी बन जाने पर उसमें* ***परिशिष्ट—पांच*** *में दिये गये नमूने के अनुसार सार विवरण (गोशवारा) अंकित किया जा सके।*

*मतदाता सूचि में ग्राम पंचायत के वार्ड एक के बाद एक, कमानुसार रखे जाये परन्तु सूचि में मतदाताओं के सरल कमांक (सिरियल नम्बर) सम्पूर्ण ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिये कमांक 01 से प्रारम्भ कर अन्त तक सिलसिलेवार लिखे जांए।*

*ग्राम पंचायत की मतदाता सूचि की हस्तलिखित प्रति तैयार हो जाने पर उसके अन्त में, तैयार करने वाले कर्मचारी द्वारा अपने हस्ताक्षर किये जाये साथ ही, सूचि के प्रथम पृष्ठ के प्रारभिक अर्ध भाग में, जो कि कोरा छोड दिया गया था* ***परिशिष्ट पांच*** *में दिये गये नमूने के अनुसार, सार विवरण दर्ज किया जाये। तत्पश्चात प्रत्येक ग्राम पंचायत की हस्तलिखित प्रति की, वरिष्ठ स्तर के कुछ अन्य कर्मचारियों से जांच कराई जाये और यदि जांच में कोई त्रुटि पाई जाये तो उन्हें सुधार दिया जाये। जांच करने वाले कर्मचारी द्वारा भी जांच के पश्चात सूचि के अन्त में अपने हस्ताक्षर किये जाये।*

***3. हस्तलिखित प्रति की नमूना जांच :—***

*जिस जिला निर्वाचन/इलैक्टरोल अधिकारी के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत सम्बन्धित ग्राम पंचायत आती है उसके द्वारा स्वयं भी हस्तलिखित प्रति की नमूना जांच की जाए और उसके पूर्ण और सही होने के सम्बन्ध में सन्तुष्टि हो जाने पर उसके अंतिम पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर के साथ पदनाम की मोहर लगाकर उसे अभिप्रमाणित किया जाये।*

*जिला निर्वाचक अधिकारी द्वारा इस बात की विशेष तौर पर जांच की जाये कि क्या सूचि में खण्ड के सामान्यतः निवासी संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य के नाम तथा पंचायत समिति और जिला परिषद्ो के सदस्यो के नाम सम्मिलित है या नहीं। यदि इनमें किसी का नाम छूट गया हो तो उसे जोडा जाये और सूचि की एक बार पुनः सावधानी से संवीक्षा की जाये।*

*उपरोक्तानुसार खण्ड के अन्तर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों की हस्तलिखित प्रतियां तैयार हो जाने पर, जिला निर्वाचक अधिकारी द्वारा उन्हें खण्डवार (पंचायत समितिवार) समेकित करके उनकी एक फोटो कापी कराकर दो सैट तैयार किये जाए मूल सैट अपनी अभिरक्षा में रखते हुये उसके द्वारा एक फोटो कापी वाला सैट जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत ) को भेज दिया जाये तथा आयोग द्वारा जारी निर्देशों अनुसार कार्यवाही की जाये ।*

4. *मतदाता सूचि का मुद्रण :–*

*विभिन्न प्रयोजनों के लिये (ग्राम पंचायतवार) मतदाता सूचि की 30 प्रतियों की आवश्यकता है, अतएव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मुद्रणालय से मुद्रण की, तदनुसार कार्यवाही की जाये। सूचि के पहले पृष्ठ को छोड़कर जिसके आधे भाग में सार विवरण (गोशवारा ) मुद्रित किये जाने के कारण 40 मतदाताओ के नाम रहेगे, बाद में प्रत्येक पृष्ठ में लगभग 100 मतदाताओ के नाम दो भागों में आठ–2 कालम मुद्रित किये जाने चाहिए अतएव यदि किसी ग्राम पंचायत में लगभग 1000 मतदाता हो तो मुद्रित सूचि का आकार लगभग 9 या 10 पृष्ठो का रहेगा।*

*मुद्रित प्रति की (प्रूफ रीडिंग) का दायित्व सम्बन्धित खण्ड के जिला निर्वाचन अधिकारी का होगा। यह कार्य बहुत सावधानी से किया जाना अपेक्षित हो ताकि सूचि में कोई बड़ी गलती जैसे कि किसी मतदाता का नाम छूट जाना या किसी कटे हुये नाम का मुद्रित हो जाना आदि न होने पाये ।*

*5. पंचायतो में उप–निर्वाचन के लिये मतदाता सूचि तैयार करना :–*

*त्रिस्तरीय पंचायतो के उप–निर्वाचन के सन्दर्भ में मतदाता सूचियां तैयार करने के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही की जाये:–*

*उप–जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिले के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र की प्रचलित निर्वाचक नामावली की चार प्रतियां तथा उससे सम्बन्धित सी0डी0 जिला कार्यालय की निर्वाचन शाखा से प्राप्त की जाये और उसे खण्डवार भागों में बांटा जाये। इस बात का ध्यान रखा जाये कि निर्वाचक नामावली की खण्डवार प्रतियां पूर्ण और सुसंगत है और उनके साथ संलग्न अनुपूरूक सूचियां भी लगी हुई है। साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रत्येक खण्ड से सम्बन्धित ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों का एक सैट जो कि विगत निर्वाचन के समय तैयार किया गया हो, अपने स्टाक से निकाला जाये, इन दोनों को इकटठा करके सम्बन्धित खण्ड के जिला निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध करवाया जाये।*

*जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा खण्ड विकास एवं पचांयत अधिकारी की सहायता से विगत निर्वाचन के समय तैयार किये गये सैट में से उन ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों को विस्तृत पुनरीक्षण हेतू अलग कर लिया जाये जो जिला परिषद्/पंचायत समिति के उस समय रिक्त निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है जिसमें सदस्य का उप–निर्वाचन होना है या जिनमें सरपंच या पंच के रिक्त स्थान के लिये उप–निर्वाचन होना है तत्पश्चात इन सूचियों का विधान सभा की प्रचलित निर्वाचक नामावली वाले सैट के सुसंगत भाग के साथ मिलान करके इन्हें अद्यतन किया जाये। इसका सहज तरीका यह है कि दो–दो कर्मचारियों की टोलियां बनाकर प्रत्येक टोली को 8 से 10 ग्राम पंचायतों की विगत निर्वाचन से सम्बन्धित "मतदाता सूचिया" तथा विधानसभा की प्रचलित "निर्वाचक नामावली" के सुसंगत भाग अनुक्रमांक सौपें जाये, टोली का पहला कर्मचारी एक–एक करके प्रत्येक ग्राम पंचायत की मतदाता सूचि में शामिल मतदाताओं के नाम क्रमशः पढता जायेगा तथा दूसरा कर्मचारी विधानसभा के सुसंगत भाग अनुक्रमांक की निर्वाचक नामावली में उन नामों के सामने सही का निशान ( ) लगाता जायेगा। इस प्रकार ग्राम पंचायत की मतदाता सूचि का विधान सभा की निर्वाचक नामावली के सुसंगत भाग से मिलान कार्य पूरा हो जाने पर विधान सभा की निर्वाचक नामावली से सुसंगत भाग में जो नाम शेष रह जाये उन्हें सम्बन्धित ग्राम*

*पंचायत की अनुपूरक मतदाता सूचि में परिवर्धन से सम्बन्धित खण्ड में जोड़ दिया जाये। विधान सभा की निर्वाचक नामावली में जो नाम संशोधित किये गये हो (अर्थात् संशोधन सूचि में सम्मिलित हों ) यदि वे ग्राम पंचायत की मतदाता सूचि में भी अशुद्ध रूप से छपे हुये हो तो लाल स्याही से संशोधित कर दिया जाये और उनकी प्रविष्टि अनुपूरक सूचि में संशोधन से सम्बन्धित खण्ड में की जाये। इसी क्रम में विधान सभा की निर्वाचक नामावली में जो नाम कटे हुये हो अर्थात् विलोपन सूचि में सम्मिलित हो उन्हें ग्राम पंचायत की मतदाता सूचि में भी लाल स्याही से काट दिया जाये और सम्बन्धित अनुपूरक सूचि में विलोपन से सम्बन्धित खण्ड में दर्ज किया जाये। कदाचित यदि ग्राम पंचायत की मूल सूचि में ऐसे नाम पहले से ही न हो तो उनके विलोपन का प्रश्न ही नहीं उठता।*

*यह सम्भव है कि ग्राम पंचायत की मतदाता सूचि में कुछ ऐसे नाम जो विधान सभा की निर्वाचक नामावली में समाविष्ट न हो ऐसे अतिरिक्त नामों को ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचि से काटा न जाये। उन्हें यथावत बने रहने दिया जाये।*

*संशोधित अनुपूरक सूचि में “परिवर्धन खण्ड” के अन्तर्गत सम्मिलित मतदाताओं के सरल क्रमांक (सिरियल नम्बर) मूलसूचि की क्रम संख्या से आगे जारी रखे जाये। उदाहरणार्थ यदि मूल सूचि में अंतिम मतदाता का सरल क्रमांक 937 हो तो परिवर्धन सूचि क्रमांक 938 से प्रारम्भ की जाये और उसे क्रमशः आगे बढाया जाये।*

*उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात प्रत्येक ग्राम पंचात के लिये अलग–2 अनुपूरक सूचि की हस्तलिखित प्रति तैयार करने की कार्यवाही हाथ में ली जाये। यह कार्य कार्यालय के ऐसे कुछ चुने हुय कर्मचारियों से कराया जाये जिनका हस्तलेखन अच्छा हो, रिक्त निर्वाचन क्षेत्रों से सम्बन्धित सभी ग्राम पंचायतों की अनुपूरक सूचियों की हस्तलिखित प्रतियां तैयार हो जाने पर किसी वरिष्ठ स्तर के कर्मचारी से उनकी जांच कराई जाये और यदि जांच में कोई त्रुटि पाई जाये तो उसे सुधार दिया जाये। तदुपरान्त जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा हस्तलिखित प्रति की स्वयं नमूना जांच की जाये और उनके पूर्ण और सही होने के सम्बन्ध में संतुष्टि हो जाने पर प्रत्येक ग्राम पंचायत से सम्बन्धित अनुपूरक सूचि की हस्तलिखित प्रति के अतिंम पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर के साथ पदनाम की मोहर लगाकर उसे अभिप्रमाणित किया जाये। तत्पश्चात उप–निर्वाचन वाले क्षेत्रों से सम्बन्धित ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियां (संशोधित अनुपूरक सूचियां सहित ) इकटठा करके उनकी फोटो कापी कराकर एक अतिरिक्त सैट तैयार कराया जाये। मूल सैट अपने पास रखते हुये जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दूसरा सैट जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को मुद्रणार्थ भेज दिया जाये ।*

***विशेष टीप :–***

*उपरोक्त विवरण से यह देखा जायेगा कि त्रिस्तरीय पंचायतों के उप–निर्वाचनों के सन्दर्भ में, केवल उन्ही ग्राम पंचायतों का प्रारूप मतदाता सूचियां विधान सभा की प्रचलित निर्वाचक नामावली के आधार पर तैयार की जानी है जो जिला परिषद, पंचायत समिति के ऐसे रिक्त निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है जिसमें सदस्य का उप–निर्वाचन होना है या जिसमें सरपंच या पंच के रिक्त स्थान के लिये उप–निर्वाचन होना है, शेष निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के मामले में मतदाताओं*

*को दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिये पिछले निर्वाचन के समय तैयार की गई मतदाता सूचियां सार्वजनिक निरीक्षण के लिये ग्राम पंचायत/पंचायत समिति या जिला परिषद् जैसी स्थिति हो के कार्यालय, तहसील कार्यालय और खण्ड निर्वाचन कार्यालय और जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत )के कार्यालयों के नोटिस बोर्डों पर जिस ग्राम से सूचि सम्बन्धित है, उस ग्राम में एक या दो सहजदृश्य स्थानों पर चिपकाया जाना प्रर्याप्त है। इस सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश* ***अध्याय–3 के पैरा 5*** *में दिये गये हैं।*

***मुद्रण :–***

*विभिन्न प्रयोजनों के लिये प्रश्नाधीन निर्वाचन क्षेत्र (अर्थात् जिसमें उप–चुनाव होना है ) की मतदाता सूचियां की 30 प्रतियां की आवश्यकता है अतएव जिला स्तर पर मुद्रण की तदनुसार कार्यवाही की जाये प्रत्येक ग्राम पंचायत की मतदाता सूचि के पहले पृष्ठ को छोडकर जिसके आधे भाग में सार विवरण (गोशवारा) मुद्रित किये जाने के कारण 40 मतदाताओं के नाम रहेगें। बाद में प्रत्येक पृष्ठ में लगभग 100 मतदाताओं के नाम दो भागो में आठ–2 कालम में मुद्रित किये जाने हैं। अतएव यदि किसी ग्राम पंचायत में मतदाताओं की संख्या 1000 हो तो मुद्रित सूचि का आकार लगभग 9 या 10 पृष्ठों का रहेगा।*

*मुद्रित प्रति की प्रुफ रीडिंग का दायित्व सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी का होगा। यह कार्य बहुत सावधानी से किया जाना अपेक्षित है ताकि सूचि में कोई बडी गलती जैसे कि किसी मतदाता का नाम छूट जाना या किसी कटे हुये नाम का मुद्रित हो जाना आदि न होने पाये।*

## अध्याय–3
## मतदाता सूचि का प्रकाशन तथा उसके निरीक्षण की व्यवस्था

1. **मतदाता सूचि के निरीक्षण तथा दावे और आपतियां प्रस्तुत करने के लिये केन्द्रों (स्थानों) का निर्धारण :–**

ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियां तैयार हो जाने पर उन्हें सर्वसाधारण के निरीक्षण के लिये उपलब्ध कराने की व्यवस्था निम्नांकित स्थानों पर की जाये :–

(i) सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय।

(ii) सम्बन्धित ग्राम पंचायतें, पंचायत समिति एवं जिला परिषद कार्यालय।

(iii) सम्बन्धित तहसील का कार्यालय।

(iv) सम्बन्धित खण्ड निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) का कार्यालय ।

(v) सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) का कार्यालय तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत में उनके बाबत दावे या आपतियां प्राप्त करने की व्यवस्था की जाये।

2. **प्रचार–प्रसार :–**

उपरोक्त स्थानों के बाबत जहां की मतदाता सूचियां सार्वजनिक निरीक्षण के लिये रखी जानी प्रस्तावित हों, तथा ग्राम में जिस स्थान पर उनके बारे दावे या आपतियां प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है, व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये। इस हेतू सूचियों के प्रकाशन के **कम से कम 3 दिन पूर्व परिशिष्ट–छ** में दिये गये प्ररूप में ऐसे स्थानों पर एक सूचना प्रदर्शित की जाये, सूचना का प्रदर्शन सम्बन्धित प्रत्येक ग्राम में एक या दो सहजदृश्य स्थानों पर (जैसे कि सहकारी समिति का कार्यालय, उचित मूल्य की दुकान, आंगनवाडी केन्द्र, चौपाल आदि ) में भी किया जाये, साथ ही सूचना की एक प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले जिला परिषद् सदस्य तथा पंचायत समिति सदस्य को भी भेजी जाये, स्थानीय समाचार पत्रों तथा क्षेत्रीय आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्र से भी इस सम्बन्ध में प्रचार कराया जाये।

3. **प्रशासनिक व्यवस्था :–**

(1) मतदाता सूचि का निरीक्षण कराने के लिये निर्धारित प्रत्येक केन्द्र (स्थान) में एक कर्मचारी नियुक्त किया जाना आवश्यक है, सूचि का निरीक्षण कराने तथा दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के लिये जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपयुक्त कर्मचारियों का चयन मतदाता सूचि तैयार करने की प्रकिया प्रारम्भ होते ही कर लिया जाना चाहिए, ऐसे कर्मचारी निम्नांकित हो सकते हैं :–

| | | |
|---|---|---|
| (i) | जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में | कार्यालय का कोई कर्मचारी या पटवारी |
| (ii) | तहसील कार्यालय में | कोई पटवारी या स्थानीय किसी शासकीय कार्यालय का कोई कर्मचारी |

| | | |
|---|---|---|
| (iii) | *खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी के कार्यालय में* | *कार्यालय का कोई कर्मचारी या पटवारी* |
| (iv) | *ग्राम पंचायत कार्यालय में* | *हल्का पटवारी या सहायक कृषि विस्तार अधिकारी या ग्राम सचिव या स्थानीय पाठशाला का कोई भी शिक्षक।* |

*चयनित कर्मचारियों के नियुक्ति आदेश* ***परिशिष्ट–सात*** *में दिये गये प्ररूप में जिला निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किये जाये, परन्तु आदेश जारी करने के पूर्व चयनित कर्मचारियों की सूचि का अनुमोदन जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) से प्राप्त कर लिया जाये ।*

*जहां तक जिला निर्वाचन अधिकारियों को सहायता प्रदान करने का प्रश्न है सामान्यता प्रत्येक खण्ड के लिये विकास एवं पंचायत अधिकारी/समाज शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी/नायब तहसीलदार को नियुक्त किया जाये परन्तु जिले में उपलब्ध नायब तहसीलदारों की संख्या कम होने पर कानूनगो को भी नियुक्त किया जा सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा, अधिकारियों की नियुक्ति के प्रस्ताव सम्बन्धित उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) से परामर्श करके तैयार किये जायें। नियुक्ति आदेश जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचि के प्रारभिंक प्रकाशन के लिये अधिसूचना जारी होते ही, जारी कर दिये जाये, नियुक्ति आदेश* ***परिशिष्ठ आठ*** *में दिये गये प्ररूप में जारी किये जाये ।*

(2) *जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा, मतदाता सूचि के प्रारभिंक प्रकाशन के पूर्व किसी एक दिन, निर्धारित केन्द्रों के लिये नियुक्त किये गये समस्त प्राधिकृत कर्मचारियों को अपने कार्यालय या खण्ड मुख्यालय में बुलाकर उनके प्रशिक्षण का आयोजन किया जाये उन्हें मतदाताओं के रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में आयोग द्वारा प्रकाशित निर्देश पुस्तिका तथा उनके प्रभार के क्षेत्र की मतदाता सूचि की एक प्रति के साथ अन्य आवश्यक सामग्री भी प्रदान किया जाये ।*

(3) *जिन केन्द्रो में प्राधिकृत कर्मचारियों को कार्य करना है उनका जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पहले से ही निरीक्षण करके वहां बैठने और कार्य करने के लिये निर्धारित समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जायें ।*

(4) *प्रकाशित सूचि की सुरक्षा और देखभाल का उतरदायित्व निरीक्षण केन्द्र पर नियुक्त प्राधिकृत कर्मचारी का होगा। दावे तथा आपतियां प्राप्त करने के लिये प्राधिकृत कर्मचारी को निर्धारित अवधि के दौरान प्रत्येक कार्यकारी दिन पूरे समय सम्बन्धित ग्राम पंचायत पर निरन्तर उपस्थित रहना आवश्यक है ।*

(5) जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सूचि के निरीक्षण और दावे तथा आपतियां प्राप्त करने के लिये निर्धारित केन्द्रो का बीच–बीच में निरीक्षण किया जाये और यदि वहां कार्य संचालन में किसी कठिनाई का अनुभव किया जा रहा है तो उसे तत्परता से दूर किया जाये ।

(6) दावे तथा आपतियां प्राप्त करने के लिये निर्धारित स्थान में मतदाता सूचि के निरीक्षण हेतू आने वाले लोगो के बैठने के लिये समुचित व्यवस्था की जाये। प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा दावे तथा आपतियों के लिये प्रयोग में लाने के लिये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विदित प्ररूप अथवा फार्मो के एक–एक नमूने अपने कक्ष में किसी सहज दृश्य स्थान पर सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रदर्शित किये जाये।

(7) जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कर्मचारियों को दावे तथा आपतियों से सम्बन्धित कार्य सम्पादन के लिये निम्नांकित सामग्री उपलब्ध कराई जानी होगी अतएव इनकी पहले से व्यवस्था की जाये :–

(i) दावे तथा आपतियों के लिये फार्म (परिशिष्ट नौ, दस तथा ग्यारह )

(ii) दावे **और आपतियों का दैनिक विवरण (परिशिष्ट–बारह)**

(8) प्रत्येक प्राधिकृत कर्मचारी का उस जिला निर्वाचन अधिकारी से सम्बन्ध रहेगा जिसके अधिकार क्षेत्र के किसी केन्द्र में उसे नियुक्त किया गया है और उसी के नियन्त्रण तथा मार्गदर्शन में कार्य करेगा ।

4. **मतदाता सूचि का प्रकाशन** :–

उस तारीख को जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिश्चित की गई हो, मतदाता सूचि आम लोगों के निरीक्षण के लिये प्रकाशित कर दी जाये, इस हेतू हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 9 के अन्तर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर तथा निम्नांकित कार्यालयों में से प्रत्येक के नोटिस बोर्ड पर, **परिशिष्ट छः** में दिये गये प्ररूप में एक नोटिस लगाया जाये।

(i) सम्बन्धित ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद के कार्यालय में

(ii) सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक ग्राम में एक या दो सहज दृश्य स्थानों पर (जैसे कि सहकारी समिति का कार्यालय, उचित मुल्य की दुकान, आंगनवाडी केन्द्र, चौपाल आदि )

(iii) तहसील कार्यालय

(iv) जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय

(v) खण्ड निर्वाचन कार्यालय (पंचायत) जिस भाग में पडता है ।

(vi) जिला परिषद् की सूचि प्रत्येक ग्राम में, यदि ग्राम वार्ड में है ।

5. **त्रिस्तरीय पंचायतों के उप–निर्वाचन के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध** :–

(1) किसी ग्राम पंचायत में सरपंच या पंच के रिक्त स्थान को भरने के लिये सम्बन्धित ग्राम पंचायत की सम्पूर्ण मतदाता सूचि को पुनरीक्षित किया जाना जरूरी है, इसी प्रकार जिला

*परिषद् या पंचायत समिति के सदस्य के किसी रिक्त स्थान को भरने के लिये सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक ग्राम पंचायत की मतदाता सूचि का पुनरीक्षण आवश्यक है, इस हेतू ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक ग्राम पंचायत में उस ग्राम पंचायत की (अध्याय –2 के प्रावधान अनुसार तैयार की गई ) प्रारभिंक मतदाता सूचि का आम लोगों को निरीक्षण कराने तथा दावे और आपतियां प्राप्त करने और उनमें प्राथमिक जांच करने उपरान्त उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी के पास पहुंचाने के लिये एक प्राधिकृत कर्मचारी नियुक्त किया जाये, प्राधिकृत कर्मचारियों के कार्य तथा उनके माध्यम से प्राप्त दावे और आपतियां के निराकरण का कार्य का पर्यवेक्षण, जिला निर्वाचन अधिकारी की सहायता के लिये नियुक्त सम्बन्धित खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, समाज शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी तथा नायब तहसीलदार द्वारा स्वयं किया जाये।*

(2) *जिला परिषद या पंचायत समिति क्षेत्र को छोडकर जिसमें सामान्य निर्वाचन/उप–निर्वाचन होना है अन्य निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों का व्यापक पुनरीक्षण और मुद्रण आवश्यक नहीं है, फिर भी उनका प्रारम्भिक प्रकाशन करना और उनके सम्बन्ध में दावे और आपतियां प्रस्तुत करने का अवसर सुलभ कराना जरूरी है, क्योंकि सैद्धातिंक रूप से जिला परिषद या पंचायत समिति के उप–निर्वाचन में चुनाव लडने वाला अभ्यर्थी यथास्थिति, जिला परिषद या पंचायत समिति के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का निवासी हो सकता है अतः ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत सामान्यतः निवास करने वाले मतदाताओ को दावे और आपतियां प्रस्तुत करने का अवसर उपलब्ध कराने के लिये सम्बन्धित ग्राम पंचायतों की प्रचलित मतदाता सूचियों को अर्थात् जो कि पिछले निर्वाचन के समय तैयार की गई हो, सार्वजनिक निरीक्षण के लिये निम्नांकित कार्यालयों में रखा जाये और वहीं पर निर्धारित अवधि के दौरान उनके सम्बन्ध में दावे और आपतियां प्राप्त करने की व्यवस्था की जाये :–*

(i) *कार्यालय, सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी*

(ii) *कार्यालय सम्बन्धित पंचायत समिति/जिला परिषद्*

(iii) *कार्यालय तहसील*

(iv) *कार्यालय खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी*

*प्रस्तुत दावो और आपतियों में जांच और सुनवाई के पश्चात जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा **अध्याय–7** के प्रावधानों के अनुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों को अन्तिम रूप से संशोधित किया जाये ।*

***टीप :–***

*यहां पर यह स्पष्ट करना उचित होगा कि हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम* 12 (1) *के अन्तर्गत पिछले निर्वाचन के समय नियम* 10(4)*के प्रावधान के अनुसार तैयार की*

*मतदाता सूचि तब तक प्रभावशाली रहती है जब तक इसे पुनरीक्षित नहीं कर दिया जाता है। चूंकि किसी निर्वाचन क्षेत्र विशेष में कराये जाने वाले उप–निर्वाचन में सामान्तया उस निर्वाचन क्षेत्र को छोडकर अन्य निर्वाचन क्षेत्रों के मतदातागण, मतदाता सूचियों के संशोधन में कोई विशेष रूचि प्रदर्शित नहीं करते, अतएव शेष निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों का व्यापक पुनरीक्षण अर्थात् विधान सभा की निर्वाचन नामावली के आधार पर उन्हें नये सिरे से तैयार करना और उनमें संशोधन के लिये प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्राधिकृत कर्मचारी नियुक्त करना आदि अनावश्यक है और न ही ऐसी सूचियों का, पुनरीक्षण के पश्चात मुद्रण आवश्यक है, ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या किसी प्रविष्टि को संशोधित या विलोपित करने के इच्छुक मतदाताओं को इस हेतू समुचित अवसर देने के लिये पिछले निर्वाचन के समय तैयार की गई मतदाता सूचि को प्रारभिंक (प्रारूप) सूचि के तौर पर उपयोग में लाया जाता है और इस प्रयोजन के लिये केवल उपर्युक्त कार्यालयों अर्थात् खण्ड सतरीय जिला निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय और पंचायत समिति, जिला परिषद कार्यालय, तहसील कार्यालय, जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी तथा खण्ड विकास एवं पचायत अधिकारी के कार्यालय में व्यवस्था कराना सर्वथा विधिसम्मत और पर्याप्त है।*

## *अध्याय–4*

## *दावें तथा आपतियां प्राप्त करना*

(1) *मतदाता सूचि के निरीक्षण के लिये निर्धारित स्थान पर तैनात प्राधिकृत कर्मचारी को दावे या आपतियां प्रत्येक कार्यकारी दिन कार्यालय समय के दौरान ( **अर्थात् प्रातः10.00 बजे से सांय 5.00 बजे व आखिरी दिन सांय 3.00 बजे तक** ) कभी भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं, प्राधिकृत कर्मचारी को उक्त अवधि के दौरान बराबर निर्धारित स्थान में उपस्थित रहना चाहिये, यदि कोई मतदाता चाहे तो सीधे जिला निर्वाचन अधिकारी को भी दावा या आपति प्रस्तुत कर सकता है या डाक से भेज सकता है ।*

(2) *प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा दावे, आपति या प्रविष्टियों के संशोधन के लिये फार्म मागें जाने पर (और यदि कोई कीमत निर्धारित की गई है तो उसका भुगतान किये जाने पर ) तत्परता से प्रदाय किया जाये ।*

(3) *सामान्यतया व्यक्तिशः प्रस्तुत आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जाये, लेकिन यदि एक ही परिवार के सदस्यों से सम्बन्धित आवेदन पत्र परिवार का कोई सदस्य इकट्ठा प्रस्तुत करे तो उन्हें ग्रहण कर लिया जाये, यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा (भले ही वह किसी राजनैतिक दल का प्रतिनिधि क्यों न हो ) दावे और आपतियां थोक में प्रस्तुत की जाये तो इन्हें ग्रहण न किया जाये तथा ऐसे प्रस्तुतकर्ता को सलाह दी जाये कि वह सम्बन्धित व्यक्तियों से अलग–2 आवेदन पत्र दिलाएं, क्योंकि दावो और आपतियों के आवेदनों पर जांच के सिलसिले में अलग–2 पूछताछ की जानी होगी।*

(4) ***दावे तथा आपतियां निम्न प्रकार की जा सकती है :–***

*मतदाता सूचि में नाम सम्मिलित न होना, नाम गलत स्थान पर अशुद्ध विशिष्टियों के साथ उल्लिखित होना तथा किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सम्मिलित होना जो पात्र नहीं है।*

*आयोग द्वारा विदित प्ररूप में प्रस्तुत किये गये दावे और आपतियां ही स्वीकार किये जा सकते हैं किसी अन्य प्रकार के प्ररूप में नहीं। दावे तथा आपतियां छपे हुये फार्म में प्रस्तुत करना जरूरी नहीं है, वे प्ररूप की फोटो कापी, टंकित या चक्रमुद्रित व हस्तलिखित प्रति में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं।*

(1) ***दावा** :– दावा केवल मतदाता सूचि में नाम सम्मिलित करने के लिये किया जा सकता है। दावा **परिशिष्ट नौ में उदद्धृत प्ररूप–क** में किया जा सकता है। दावे के समर्थन में सम्बन्धित वार्ड की मतदाता सूचि में सम्मिलित किसी मतदाता के हस्ताक्षर होना जरूरी है।*

*यदि मतदाता अपना नाम मतदाता सूचि के एक स्थान से दूसरे स्थान में अंतरेत करना चाहता है तो उसके द्वारा भी इसी प्ररूप में दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।*

(2) ***आपतियां** :– आपतियां दो प्रकार की हो सकती है, अर्थात्*

(i) *मतदाता सूचि में सम्मिलित किसी प्रविष्ट के ब्यौरे (जैसे मकान, नम्बर, नाम, पिता/पति का नाम आयु ) के सम्बन्ध में त्रुटि पर आपति :– ऐसी आपति*

*केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिससे वह प्रविष्ट सम्बन्धित है। यह आपति **परिशिष्ट–दस में उदद्धृत प्ररूख–ख** में की जायेगी।*

(ii) *मतदाता सूचि में सम्मिलित किसी नाम पर आपति :– ऐसी आपति किसी मतदाता द्वारा ही की जा सकती है और वह **परिशिष्ट–ग्यारह में उदद्धृत प्ररूप–ग** में की जायेगी। इस प्रकार की आपति के समर्थन में सम्बन्धित वार्ड की मतदाता सूचि में सम्मिलित किसी अन्य मतदाता के हस्ताक्षर होना जरूरी है।*

(5) *प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा प्रत्येक दावे तथा आपति के सम्बन्ध में दावेदार या आपतिकर्ता को आवेदन की रसीद तथा पेशी तारीख की सूचना जो सम्बन्धित प्ररूप के अन्त में लगी हुई है हाथो–हाथ दी जाये, इसमें सुनवाई के लिये वह तारीख अंकित की जाये जो दावा या आापति प्रस्तुत किये जाने के दिन के ठीक तीन दिन के अन्दर पडने वाले कार्यकारी दिवस की हो, साथ ही, दावेदार या आपत्तिकर्ता से प्ररूप में ही मुद्रित पावती पर उसके हस्ताक्षर करवा लिये जाये या अंगूठे के निशान लगवा लिया जाये।*

(6) *प्राधिकृत कर्मचारी का यह कर्तव्य है कि यदि दावा या आपति प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति विदित प्ररूप में आवेदन पत्र देने में कोई सहायता चाहे तो उसे आवश्यक सहायता या मार्गदर्शन दे।*

(7) *प्राधिकृत कर्मचारी प्रतिदिन उसे प्राप्त दावे और आपतियों का दैनिक विवरण **परिशिष्ट–बारह** में दर्शाये गये प्ररूप में दो प्रतियों में तैयार करेगा, विवरण की एक प्रति और आपत्ति के साथ, अगले दिन दोपहर से पहले जिला निर्वाचन अधिकारी को भेज देगा, जबकि दूसरी प्रति अपने कार्य स्थान के नोटिस बोर्ड पर लगायेगा नोटिस बोर्ड पर लगाई गई प्रति 3 दिन तक न हटाई जाये, यदि किसी दिन कोई दावा या आपति प्राप्त न हो तो उस तारीख से सम्बन्धित निरंक दैनिक विवरण तैयार किया जाये। दावे और आपतियां प्राप्त करने के लिये निर्धारित अंतिम तारीख को अपराह्न 3–00 बजे के बाद प्रस्तुत किसी दावे या आपति को स्वीकार नहीं किया जायेगा।*

(8) *प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक दावे और आपति के सम्बन्ध में प्रस्तुतकर्ता से पूछताछ की जाये और उसके आधार पर उपरोक्त दावा या आपति के प्ररूप में सुसंगत स्थान पर अपनी रिपोर्ट दर्ज की जाये। पूछताछ निम्नांकित बिन्दुओं के सम्बन्ध में की जानी चाहिये :–*

(i) 1 *जनवरी को दावेदार की आयु 18 वर्ष की हो जाने के सम्बन्ध में क्या प्रमाण है? स्कूल प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि क्या है और यदि ऐसा प्रमाण पत्र न हो तो क्या अन्य दस्तावेज या परिस्थिति जन्म साक्ष्य के आधार पर उसकी आयु 18 वर्ष है? यदि मतदाता 18 वर्ष से कहीं अधिक उम्र का हो तो उसके द्वारा पूर्व में नगरपालिका या विधानसभा की निर्वाचन नामावली में नाम दर्ज न कराये जाने का क्या कारण है? क्या ऐसे कारण संतोषजनक है?*

(ii) *उसका मामूली तौर पर निवास का स्थान कहां है और वह क्या करता है उसके परिवार में और कौन–2 लोग है।*

(iii) *जिस व्यक्ति की मृत्यु होने के कारण उसका नाम मतदाता सूचि में बने रहने पर आपति (तथा नाम हटाये जाने की मांग) की गई है उसकी मृत्यु कब/कहां हुई है?*

(iv) *जिस व्यक्ति का नाम उस निर्वाचन क्षेत्र से बाहर रहने या अन्यत्र चले जाने या अपात्रता के कारण मतदाता सूचि में बने रहने पर (तथा नाम हटाये जाने के लिये मांग) आपत्ति की गई है वह कहां रहता है या कब और कहां चला गया या उसकी कथित अपात्रता का आधार क्या है?*

(9) *प्राधिकृत कर्मचारी की रिपोर्ट को मान्य करने के लिये जिला निर्वाचन अधिकारी बाध्य नहीं है, उससे यह अपेक्षित है कि वह मामले में अपना स्वतन्त्र निष्कर्ष निकाले और आवश्यक होने पर अलग से जांच भी करें।*

(10) *जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कर्मचारियों से प्रतिदिन पूर्वान्ह में, पिछले दिन से सम्बन्धित समस्त दावो और आपत्तियों के आवेदन पत्रों को* ***परिशिष्ट बारह*** *में तैयार किये गये दैनिक विवरण सहित अपने कार्यालय में मंगाने की समुचित व्यवस्था की जाये।*

## *अध्याय–5*
## *दावे और आपतियों की जांच और उनका निपटारा*

*जिला निर्वाचन अधिकारी को अपने अधिकार क्षेत्र के प्राधिकृत कर्मचारियों से दावे और आपतियों के आवेदन पत्र के साथ जो "दैनिक विवरण" **परिशिष्ट–बारह** प्राप्त हो, उसमें उल्लिखित प्रकरणों का पंजीकरण, पृथकशः एक प्रकरण रजिस्टर में किया जाये। प्रकरण रजिस्ट्र्र **परिशिष्ट–तेरह** में दर्शाये गये प्ररूप में संगृहित किया जाये ।*

2. *आपतियों से सम्बन्धित ऐसे मामलो में जिनमें मतदाता सूचि में किसी व्यक्ति का नाम सम्मिलित किये जाने पर आपति की गई हो, (अर्थात् प्राप्त आपतियों से सम्बन्धित मामलों में) आक्षेपित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है। अतएव इस प्रकार के मामलो में आक्षेपित व्यक्ति को सुनवाई के लिये उसके ज्ञात पते पर (अर्थात् मतदाता सूचि में दर्ज मकान तथा वार्ड के पते पर) **परिशिष्ट–चौदह** में दिये गये प्ररूप में, तुरन्त सूचना भेजी जाये। सूचना की **तामील–रसीद** प्रकरण में सम्बन्धित अभिलेख में रखी जाये। इस सूचना में सुनवाई के लिये वही तारीख अंकित की जाये जो कि आपतिकर्ता को प्राधिकृत कर्मचारी ने निर्धारित प्ररूप में उसकी आपति प्राप्त करते समय संसूचित की हो।*

3. *जिला निर्वाचन अधिकारी को प्राधिकृत कर्मचारियों के माध्यम से प्राप्त दावों और आपतियों पर सुनवाई उस तारीख को अवश्य करनी चाहिये जो दावेदार या आपतिकर्ता को दी गई पेशी तारीख की सूचना में अंकित है। निर्धारित तारीख को सुनवाई और आवश्यक जांच कर लेने से, न केवल पक्षधारी को सुविधा होती है। वरन कार्य नियमित रूप से निपटाया जाता है और आखरी दिनों के लिये काम का बहुत अधिक बोझ इकटठा नहीं होने पाता, सभी दावे और आपत्तियां राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिश्चित तारीख तक अवश्य निपटा दिये जाने चाहिये।*

4. *जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्य का अंधिकाश भाग मतदाता सूचि में नाम जोडे जाने के लिये दावों से सम्बन्धित रहता है, ऐसे दावो में मुख्यतः यह देखा जाना होता है कि क्या दावेदार उस वर्ष की 1 जनवरी को जिस वर्ष में मतदाता सूचि पुनरीक्षित की जा रही है, 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है तथा क्या वह वस्तुतः सम्बन्धित नगर का मामूली तौर पर (अर्थात् सामान्यतः) निवासी है।*

*जहां तक आयु का प्रश्न है उसके लिये जन्मतिथि का कोई विश्वसनीय आधार (जैसे कि परीक्षा प्रमाण पत्र, पाठशाला पंजी या नगरपालिका या ग्राम पंचायत के अभिलेख में लिखित जन्म तिथि आदि ) उपलब्ध हो तो काम आसान हो जाता है, अन्यथा आनुषंगिक साक्ष्य (जैसे कि भाई–बहनो की आयु) के आधार पर निर्णय किया जाना चाहिये।*

*जहां तक मामूली निवास स्थान (अर्थात् सामान्यतः निवास करने के स्थान) का प्रश्न है, यह तथ्य का प्रश्न है कि वह उस स्थान विशेष का निवासी है या नहीं। मामूली तौर से निवासी (सामान्यतः निवासी) का अर्थ :–*

*मामूली तौर पर निवास स्थान (अर्थात् सामान्यतः निवास करने के स्थान) से आशय उस स्थान से है जिसका प्रयोग कोई व्यक्ति सामान्यतः सोने के लिये करता है। यह आवश्यक नहीं है कि वह उस स्थान*

*पर खाना भी खाता हो। वह भोजन या काम बाहर किसी अन्य स्थान पर भी कर सकता है, रहने के ऐसे सामान्य स्थान से अस्थायी अनुपस्थिति की अनदेखी की जा सकती है, कुछ समय के लिये अनुपस्थित रहना किसी व्यक्ति के सामान्यतः निवास को तब तक समाप्त नहीं करेगा जब तक वह वहां लौटाने में समर्थ है और वहां लोटना चाहता है। इस परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि सांसद और विधायक भले ही (सासंद या विधायक के रूप में ) अपने कार्याकलापों के सिलसिले में अपने रहने के समान्य स्थान से बाहर रहते हो फिर भी वे भी अपने नगर या ग्राम में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के हकदार होंगें। यह केवल तथ्य का प्रश्न है कि कोई व्यक्ति किसी स्थान विशेष का सामान्यतः निवासी है या नहीं? जो व्यक्ति नौकरी या व्यापार के लिये अपने ग्राम या नगर से बाहर चला गया हो उसे उस स्थान से बाहर गया हुआ ही माना जायेगा। सम्बन्धित ग्राम या नगर में ऐसे व्यक्ति के स्वामित्व या कब्जे के किसी भवन या किसी अन्य सम्पति से उसे समान्यतः निवासी की योग्यता प्राप्त नहीं होगी।*

*जेलों, अस्पतालों आदि में रहने वाले व्यक्ति उन नगरों/वार्डो की मतदाता सूचि में शामिल नहीं किये जा सकते जिनमें ऐसी संस्थाएं स्थित है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति इन संस्थाओं में अस्थायी अवधि के लिये ही रह रहे होते हैं। यही स्थिति लगभग अधिकांश छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के मामले में भी लागू होती है, परन्तु यदि कोई व्यक्ति किसी संस्था (जैसे कि किसी आश्रम या निकतेन) में लम्बे समय से रह रहा हो और उसका अपने सामान्यतः निवास के स्थान पर आते जाते रहने का सिलसिला लम्बे अन्तराल से बन्द हो गया हो, तो उसे स्थान का सामान्य निवासी माना जा सकता है जहां ऐसी संस्था स्थित हो। सामान्यतः सिद्धान्त यह है कि किसी व्यक्ति को उसके निवास के सामान्य स्थान पर रजिस्ट्रीकृत किया जाना चाहिय, भले ही वह वहां से अस्थाई तौर पर अनुपस्थित भी क्यों न रहता हो परन्तु उसे ऐसे स्थान पर मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाना चाहिये जहां वह अस्थायी रूप से रह रहा हो ।*

5. *संदेहास्पद मामलो में दावेदार/आपतिकर्ता को साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा जा सकता है या दावेदार के निवास स्थान/मोहल्ले में जाकर स्थानीय पूछताछ की जा सकती है। यदि किसी क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त हुये हो तो उनके उचित और शीघ्र निराकरण के लिये मौके पर संक्षिप्त जांच करना बहुत आवश्यक होगा।*

6. *दावेदार/आपतिकर्ता का ब्यान अभिलिखित करने और ऐसी अन्य संक्षिप्त जांच करने के पश्चात् जैसा कि जिला निर्वाचन अधिकारी उचित समझे, उसके द्वारा अपना निर्णय लेखबद्ध किया जाये तथा दावेदार/आपतिकर्ता द्वारा मांग किये जाने पर आदेश की एक प्रति तत्काल निशुल्क प्रदान की जाये ।*

7. *जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निपटाये गये समस्त दावों और आपतियों का विवरण और उनमें अपने निर्णयों का सार प्रकरण रजिस्टर **परिशिष्ट–तेरह** में दर्ज किया जाये। प्रकरण रजिस्टर की प्रत्येक प्रविष्टि के समक्ष जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर किये जाये और यदि किसी प्रविष्टि में कोई काट–छांट हो तो वहां पर भी अपने लघु हस्ताक्षर किये जायें, रजिस्टर कें अंतिम पृष्ठ में, आखरी प्रविष्टि के नीचे, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपने पूरे हस्ताक्षर किये जाये और अपनी मोहर भी लगाई जाये ।*

## *अध्याय-6*

### *अंतिम मतदाता सूचि तैयार करना और उसका प्रकाशन*

*सभी दावों और आपतियों का निराकरण हो जाने के पश्चात जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रकरण रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों के आधार पर अनुपूरक मतदाता सूचि तैयार करने का कार्य हाथ में लिया जाये अनुपूरक सूचि **परिशिष्ट–प्रन्दह** में दिये गये प्ररूप में तैयार की जाये । यह कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होने के कारण इसे जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत देख–रेख में कराया जाये। इस कार्य में उन्हीं कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग किया जाये जो कि पूर्व में मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कराने और दावे तथा आपतियां प्राप्त करने के लिये नियुक्त किये गये थे। प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिये एक अलग अनुपूरक सूचि बनाई जाये।*

*"परिवर्धन" शीर्ष के अन्तर्गत जोडे गये मतदाताओ के सरल कमांक मूल सूचि की कम संख्या के आगे जारी रखे जाये। उदाहरणार्थ यदि मूल सूचि के सुसंगत भाग में अंतिम मतदाता की कम संख्या 981 हो तो परिवर्धन सूचि कमांक 982 से प्रारम्भ की जाये और उसे कमशः बढाया जाये ।*

*"संशोधन" शीर्ष के अन्तर्गत मूल मतदाता सूचि में सम्मिलित मतदाताओ के नाम, गृह कमांक, आयु आदि प्रविष्टियों की अशुद्वियों को दूर करते हुये उन्हें संशोधित रूप में दर्शाया जाये। जिन मतदाताओ के नाम संशोधन शीर्षक के अन्तर्गत दर्ज किये जाये उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों को मूलसूचि में लाल स्याही से सुधार दिया जाये ।*

*"विलोपन" शीर्षक के अन्तर्गत ऐसे मतदाताओ के नाम अंकित किये जाये जो किसी भी कारण से सम्बन्धित ग्राम पंचायत में पंजीकृत मतदाता बने रहने के पात्र नहीं है। जिन मतदाताओ के नाम विलोपन सूचि में शामिल किये जाये उनके नाम मतदाता सूचि में लाल स्याही से काट दिये जाये ।*

2. *जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के समस्त ग्राम पंचायतों की अनुपूरक सूचियां उपरोक्तानुसार निर्धारित प्ररूप में तैयार कर लिये जाने के पश्चात् उन्हें कमवार व्यवस्थित किया जाये और उन्हें नगराधीश/उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) (जो कि जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी है) को सौप दिया जाये। नगराधीश/उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रतियों को खण्डवार समांकित करके उनकी एक फोटोप्रति कराई जाये । इस प्रकार तैयार किये गये दो सैटो में से एक सैट अपने पास रखते हुये दूसरा सैट मुद्रण के लिये जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को मुद्रणार्थ भेज दिया जाये ।*

3. ***मुद्रण** :– जिला स्तर पर अनुपूरक सूचियों की उतनी ही प्रतियां मुद्रित कराई जाये जितनी कि मूल मतदाता सूचियों की कराई गई हो, मुद्रण के दौरान प्रुफ रीडिंग का दायित्व जिला निर्वाचन अधिकारी का होगा, अनुपूरक सूचियों की मुद्रित प्रतियां प्राप्त होने पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उन्हें ग्राम पंचायतवार मूल सूचियों के साथ संलग्न किया जाये तथा प्रत्येक पृष्ठ पर कमांक डाला जाये। प्रत्येक ग्राम पंचायत की अनुपूरक सूचि के अन्त में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर और पदनाम की मोहर लगाकर उसे अभिप्रमाणित किया जाये ।*

*यदि किसी ग्राम पंचायत की मतदाता सूचि में कोई परिवर्धन, संशोधन या विलोपन न भी किया गया तब भी उसके अन्त में एक निरंक प्रविष्टि वाली अनुपूरक सूचि जोडी जाये और उसे जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित किया जाये अर्थात् उसमें पृष्ठ कमांक दर्ज करते हुये अपने हस्ताक्षर किये जाये और पदनाम की मोहर लगाई जाये ।*

4. ***मतदाता सूचि का अन्तिम प्रकाशन :–***

(i) *उस तारीख को जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिश्चित की जाये जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अतिंम रूप से तैयार की गई मतदाता सूचि का प्रकाशन आवश्यक है। इस हेतू जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर* ***परिशिष्ट सोलह*** *में दिये गये प्ररूप में एक नोटिस लगाया जाये । उक्त कार्यवाही के साथ–2 जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदाता सूचि के प्रत्येक खण्ड से सम्बन्धित सैट के प्रथम पृष्ठ में अपने हस्ताक्षर और पदनाम की मोहर के अन्तर्गत निम्नानुसार एक प्रमाण पत्र अभिलिखित किया जाये :–*

*प्रमाणित किया जाता है कि खण्ड __________________________के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के लिये तारीख 1 जनवरी 20 के सन्दर्भ में तैयार की गई मतदाता सूचि की यह अंतिम रूप से प्रकाशित सूचि है ।*

*तारीख :–*
*स्थान :–* *जिला निर्वाचन अधिकारी*

*मोहर*

(ii) *जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं नगराधीश, उपमण्डल अधिकारी द्वारा अतिंम रूप से प्रकाशित मतदाता सूचि की खण्डवार दो प्रतियां सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराई जाये और शेष प्रतियां भावी उपयोग और आवश्यकताओं की पूर्ति हेतू उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को उस की अभिरक्षा में सुरक्षित रखने हेतू भेज दिया जाये ।*

## *अध्याय-7*

**1. *मतदाता सूचि तैयार करने से सम्बन्धित कागज पत्रों की अभिरक्षा***

*जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रकाशित प्रारभिंक मतदाता सूचि, प्राप्त दावे और आपतियों से सम्बन्धित कागज पत्र तथा "प्रकरण रजिस्टर" आदि कागज पत्र मतदाता सूचि के अंतिम प्रकाशन के तुरन्त बाद ठीक से व्यवस्थित करके जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को, लेखागार में सुरक्षित रखे जाने के लिये भेज दियें जायें। ऐसे कागज पत्र तब तक सुरक्षित रखे जाये जब तक कि मतदाता सूचि में आगामी पुनरीक्षण नहीं हो जाता और तत्पश्चात उन्हें नष्ट कर दिया जाये ।*

2. *अतिमं रूप से प्रकाशित मतदाता सूचि का निरीक्षण तथा उसके किसी भाग की प्रमाणित प्रति जारी करना*

*कोई भी व्यक्ति दो रूपये की फीस का नकद भुगतान करके, जिसके लिये उसे रसीद दी जायेगी। अतिंम रूप से प्रकाशित मतदाता सूचि का निरीक्षण कर सकता है। इस प्रकार के निरीक्षण की सुविधा प्रत्येक खण्ड में, खण्ड निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के कक्ष में और जिला स्तर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के कक्ष में उपलब्ध कराई जाये ।*

*कोई भी व्यक्ति मतदाता सूचि के किसी अशं की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने का हकदार है। प्रमाणित प्रति उक्त कार्यालयों से राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा नियत फीस के भुगतान करने पर की जाये।*

3. ***मतदाता सूचियों की बिक्री :–***

*बिक्री के प्रयोजन के लिये ग्राम पंचायत की पूरी मतदाता सूचि को एक इकाई (यूनिट) माना जाये और उसे छोटे भागों (अर्थात् वार्डवार टुकड़ो ) में नहीं बेचा जाये। विक्रय राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अन्तर्गत तत्समय प्रभावशील दर पर किया जाये और विक्रय से प्राप्त राशि (कोषालय) में निम्नांकित मद में जमा की जाये :–*

| | | |
|---|---|---|
| Major Head | : | 0070-Other Administrative Services |
| Sub Major Head | : | 02-Election- |
| Minor Head | : | 101-Sale proceed –Election forms and documents. |
| Sub Head | : | (94) –Sale Proceed of Election forms and documents of State Election Commission. |

## *मतदाता सूचि तैयार करने से सम्बन्धित हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानों का उद्धरण*

| | |
|---|---|
| *ग्राम के सम्बन्ध में अधिसूचना* | *धारा 7 के तहत सरकारी अधिसूचना द्वारा किसी ग्राम या ग्राम के किसी भाग अथवा मिलते हुये समूह को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये एक या अधिक सभा क्षेत्र गठित करने की घोषणा कर सकती है ।* |
| *निर्वाचन खण्ड* | *धारा 162 तथा धारा 7 के अधीन गठित प्रत्येक सभा क्षेत्र खण्ड तथा जिला इस अधिनियम की धारा* 8(3)58(2) *तथा* 119(2) *में यथा निर्दिष्ट वार्डो में विभाजित किया जायेगा।* |
| *निर्वाचन खण्ड* | *धारा 163 तथा धारा 7 के अधीन गठित प्रत्येक ग्राम के लिये राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियन्त्रण के अधीन इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार मतदाताओ की एक सूचि तैयार की जायेगी।* |
| *ग्राम के मतदाताओ का रजिस्ट्रीकरण* | *धारा 165 के तहत ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उस ग्राम से सम्बन्धित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अधीन विधान सभा निर्वाचक नामावली से सुसंगत भाग में मतदाता के रूप में पंजीकृत किये जाने का हकदार है या जिसका नाम उसमें पंजीकृत है और उस ग्राम का मामूली तौर से निवासी है उस ग्राम की मतदाता सूचि में पंजीकृत किये जाने का हकदार होगा।*<br>*परन्तु–*<br>*धारा 167 के तहत कोई भी व्यक्ति उसी पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद के एक से अधिक निर्वाचन खण्ड के लिये मतदाता सूचि में अपना नाम शामिल करवाने का हकदार नहीं होगा।*<br>*धारा 168 के तहत कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बार किसी निर्वाचन खण्ड के लिये मतदाता सूचि में अपना नाम पंजीकृत करवाने का हकदार नहीं होगा।*<br>*स्पष्टीकरण :–*<br>(i) *अभिव्यक्ति "मामूली तौर से निवासी" का अर्थ वही होगा जो उसके लिये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,* 1950 (1950 *का सं0* 43) *की धारा 20 में दिया गया है किन्तु इस उपरान्तरण के अध्यधीन रहते हुये कि उसमें किया गया "निर्वाचन क्षेत्र" के प्रति निर्देश का इस प्रकार अर्थ लगाया जायेगा कि वह "ग्राम" के प्रति निर्देश है ।*<br>(ii) *कोई व्यक्ति किसी ग्राम की मतदाता सूचि में पंजीकृत किये जाने के लिये निरर्हित होगा, यदि वह विधानसभा निर्वाचक नामावली में पंजीकृत* |

*किये जाने के लिये निरर्हित है ।*

2. *उपरोक्त धाराओ में प्रयुक्त शब्दो एवं अभिव्यक्तियों की स्थिति निम्नानुसार है :—*

(i) *विधान सभा निर्वाचक नामावली में पंजीकृत किये जाने के लिये निरर्हता समाविष्टकरण की शर्तें तथा "मामूली तौर से निवासी" का अर्थ प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 से 20 में वर्णित है। इन धाराओ के उद्धरण इस परिशिष्ट के साथ जोडे गये अनुलग्नक में दिये गये हैं ।*

**लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अन्तर्गत निर्वाचक नामवाली तैयार करने से सम्बन्धित धारा 16 से 20 का उद्धरण ।**

16. *निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिये निरर्हताएं–*(1) *यदि कोई व्यक्ति :–*

(*क*) *भारत का नागरिक नहीं है, अथवा*

(*ख*) *विकृतचित है और उसके ऐसा होने की सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान है, अथवा*

(*ग*) *निर्वाचनों के सम्बन्ध में भ्रष्ट आचारणों और अन्य अपराधों से सम्बन्धित किसी विधि उपबन्धों के अधीन मतदान करने के लिये तत्समय निरर्हित है, तो वह निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किये जाने के निर्हित है ।*

(2) *रजिस्ट्रीकरण के पश्चात जो कोई व्यक्ति ऐसे निरर्हत हो जाता है, उसका नाम उस निर्वाचक नामावली में से तत्काल काट दिया जायेगा जिसमें वह दर्ज है।*

*परन्तु किसी निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में जिस व्यक्ति का नाम उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन निर्हरता के कारण काटा गया है यदि ऐसी निरर्हता उस कालावधि के दौरान, जिसमें ऐसी नामावली प्रवृत रहती है, किसी ऐसी विधि के अधीन हटा दी जाती है जो ऐसा हटाना प्राधिकृत करती है तो उस व्यक्ति का नाम तत्काल उसमें पुनः स्थापित कर दिया जायेगा ।*

17. *एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में किसी व्यक्ति का नाम रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जायेगा एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र के लिये निर्वाचक नामावली में कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत किये जाने का हकदार न होगा।*

18. *किसी निर्वाचन क्षेत्र में कोई व्यक्ति एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जायेगा, किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिये निर्वाचक नामावली में कोई व्यक्ति एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत किये जाने का हकदार न होगा ।*

19. *रजिस्ट्रीकृत की शर्तें इस भाग के पूर्वगामी उपबन्धों के अध्यधीन यह है कि हर व्यक्ति जो :–*

(*क*) *अर्हता की तारीख को 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है, तथा*

(*ख*) *किसी निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है ,*

*उस निर्वाचन क्षेत्र के लिये निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिये हकदार होगा।*

20. “*मामूली तौर से निवासी*” *का अर्थ* (1) *किसी व्यक्ति की बाबत केवल इस कारण कि वह निर्वाचन क्षेत्र में किसी निवास गृह पर स्वामित्व या कब्जा रखता है को यह न समझा जायेगा कि वह उस निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है।*

(*क*) *अपने मामूली निवास स्थान में अपने आपको अस्थायी रूप से अनुपस्थित रहने वाले व्यक्ति की बाबत केवल इसी कारण यह न समझा जायेगा कि वह वहां का मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है ।*

(ख) संसद का या किसी राज्य के विधान मण्डल का जो सदस्य ऐसे सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन के समय जिस निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है उसकी बाबत इस कारण कि वह ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्बन्ध में उस निर्वाचक क्षेत्र से अनुपस्थित रहा है यह न समझा जायेगा कि वह अपनी पदावधि के दौरान उस निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है ।

(2) जो व्यक्ति मानसिक रोग या मनोवैकल्प से पीडित व्यक्तियों के रखने और चिकित्सा के लिये पूर्णतः या मुख्यतः पोषित किसी स्थान में चिकित्साधीन है या जो किसी स्थान में कारागार में या अन्य विधिक अभिरक्षा में निरूद्व है, उसके बारे में केवल इसी कारण यह न समझा जायेगा कि वह वहां का मामूली तौर से निवासी है ।

(3) किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो सेवा अर्हता रखता है यह समझा जायेगा कि वह किसी तारीख को उस निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है जिसमें यदि उसकी ऐसी सेवा अर्हता न होती तो, वह उस तारीख को मामूली तौर से निवासी होता ।

(4) जो कोई व्यक्ति भारत में ऐसा पद धारण किये हुये है जिसे राष्ट्रपति ने, निर्वाचन आयोग के परामर्श से ऐसा पद घोषित कर दिया है जिसनें इस उपधारा के उपबन्ध लागू है उसके बारे में यह समझा जायेगा कि वह किसी तारीख को उस निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है जिसमें, यदि वह कोई ऐसा पद धारण न किये होता तो वह, उस तारीख को मामूली तौर से निवासी होता ।

(5) ऐसे किसी व्यक्ति का जिसके प्रति उप–धारा (3) या उपधारा (4) में निर्देश किया गया है, निहित प्ररूप में किये गये और विहित रीति में सत्यापित, इस कथन की बाबत कि यदि मेरी सेवा अर्हता न होती या मैं किसी को धारण न किये होता, जैसा उप–धारा (1) निर्दिष्ट है, तो मैं एक विनिर्दिष्ट स्थान में किसी तारीख को मामूली तौर से निवासी होता, तत्प्रतिकूल साक्ष्य के अभाव में यह स्वीकार किया जायेगा कि वह शुद्व है ।

(6) यदि ऐसे किसी व्यक्ति की पत्नी जिस व्यक्ति के प्रति उपधारा (3) या उपधारा (4) में निर्देश किया गया है, उसके साथ मामूली तौर से निवास करती हो तो ऐसी पत्नी के बारे में यह समझा जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट किये गये निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है ।

(7) यदि किसी मामले में यह प्रश्न पैदा होता है कि कोई व्यक्ति किसी सुसंगत समय पर वहां का मामूली तौर से निवासी है तो वह प्रश्न मामले के सब तथ्यों की ओर ऐसे नियमों के जैसे केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग के परामर्श से इस निमित बनाये जाएं, प्रति निर्देश से अवधारित किया जायेगा।

(8) उपधारा (3) और (5)मे "सेवा अर्हता" से :–

(क) संघ के सशस्त्र बलों का सदस्य होना, अथवा

(ख) ऐसे बल का सदस्य होना जिसको सेना अधिनियम 1950 (1950 का 46) के उपबन्ध उपान्तरो सहित या रहित लागू कर दिये गये है, अथवा

(ग) *किसी राज्य के सशस्त्र पुलिस बल का ऐसा सदस्य होना जो उस राज्य के बाहर सेवा कर रहा है, अथवा*

(घ) *ऐसा व्यक्ति होना, जो भारत सरकार के अधीन भारत के बाहर किसी पद पर नियोजित है, अभिप्रेत है ।*

*पंचायत निर्वाचन* *परिशिष्ट–दो*

**मतदाता सूचि तैयार करने से सम्बन्धित हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 का उद्धरण**

**अध्याय–4 मतदाता सूचि**

**8. मतदाता सूचि तैयार करना**

*राज्य निर्वाचन आयुक्त, अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् के मतदाताओं की वार्ड वार एक सूचि प्ररूप–1 (परिशिष्ट दो का अनुलग्नक) में देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी में तैयार करवायेगा।*

**9. मतदाता सूचि का प्रकाशन**

(1) *नियम 8 के अधीन तैयार की गई प्रत्येक मतदाता सूचि प्रकाशित की जायेगी और ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् जैसी भी स्थिति हो, के कार्यालयों और तहसील कार्यालय और खण्ड निर्वाचन कार्यालय, जिसमें ग्राम पडता हो, के नोटिस बोर्डो पर और यदि मतदाता सूचि जिला परिषद् के वार्ड से सम्बन्धित है तो सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर और जिस ग्राम से सूचि सम्बन्ध है, उस ग्राम में एक या दो सहज दृश्य स्थानों पर चिपकाई जायेगी।*

**10. दावो/आक्षेपों का निपटान**

(1) *जिला निर्वाचन अधिकारी दावे और आक्षेपों की ऐसी संक्षिप्त जांच के बाद, जैसी वह उचित समझे, दावो और आक्षेपों की जैसे भी स्थिति हो, उसके द्वारा प्राप्ति की तिथि से तीन दिन के भीतर अपना निर्णय अभिलिखित करेगा और आक्षेपक को कोई मांग करने पर ऐसी निर्णय की प्रति तुरन्त मुफ्त उपलब्ध करवायेगा।*

(2) *इस नियम के अधीन किसी कार्यवाही में किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व विधिक व्यवसायी नहीं करेगा ।*

(3) *जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अपने निर्णयानुसार मतदाता सूचि का संशोधन करेगा ।*

(4) *इस प्रकार संशोधित मतदाता सूचि अन्तिम होगी और जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षारित उसकी एक प्रति उसके कार्यालय में रखी जायेगी और अन्य प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के कार्यालय में जमा करवाई जायेगी और नियम 9 के अधीन विहित रीति में प्रकाशित करवाई जायेगी ।*

**11. प्रमाणित प्रतियों का निरीक्षण और जारी किया जाना**

*प्रत्येक लोक सदस्य की दो रूपये की फीस के भुगतान पर नियम 10 के उपनियम (4) में निर्दिष्ट मतदाता सूचि के निरीक्षण का अधिकार होगा और उसकी प्रमाणित प्रतियां, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आवेदक को, निर्वाचन आयुक्त द्वारा नियत फीस के भुगतान पर जारी की जायेगी ।*

12. ***मतदाता सूचि की अवधि***

(1) *नियम 10 के उप–नियम (4) में निर्दिष्ट मतदाता सूचि तब तक प्रवृत रहेगी जब तक उप नियम (2) के अनुसार पुनरीक्षित नहीं की जाती ।*

(2) *ऐसी प्रत्येक सूचि, जब कभी उप–चुनाव या सामान्य चुनाव होने हो, विधान सभा निर्वाचक नामावली के आधार पर संशोधित और अद्यतन की जायेगी ।*

13. ***पेपरो की अभिरक्षा और नष्ट किया जाना***

*नियम 9 के अधीन प्रकाशित प्रारभिंक मतदाता सूचि और नियम 10 के अधीन प्राप्त दावे और आक्षेप यदि कोई हो, उन पर जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेशों सहित, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के अभिलेख कमरे में, सूचि के आगामी संशोधन तक रखे जायेगें और तदुपरांत नष्ट कर दिये जायेगें ।*

*परिशिष्ट–दो का अनुलग्नक*

**प्ररूप 1**
**(देखिये नियम 8 )**
**मतदाताओ की सूचि**

जिले का नाम ____________ खण्ड ___________ गांव का नाम ______________
वार्ड संख्या ________________

| क0 सं. | __20_ को अन्तिम प्रकाशित विधान सभा मतदाता सूचि का कमांक | मकान नं0 | मतदाता का नाम | पिता/ पति का नाम | पुरूष/ स्त्री | आयु 1 जनवरी 20__ | भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये पहचान पत्र का कमांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

परिशिष्ट–तीन

**STATE ELECTION COMMISSION, HARYANA,**
**S.C.O. NO. 16-17, SECTOR 20-D,**
**CHANDIGARH.**

**NOTIFICATION**

NO. SEC/2E-III/2004/ 14088 DATED: 09/12/2004.

In partial modification in notification issued by the Commission vide notification No. SEC/2E-III/2004/10773, dated 6.10.2004.regarding appointment of District Electoral Officer for the preparation of Panchayat voter list in Panchayat election , the City Magistrate, Hisar was appointed as District Electoral Officer (Panchayat) for Block Hisar-I, Hisar-II and Barwala in District Hisar for the preparation of voter lists for the conduct of Panchayat elections.

And whereas the City Magistrate-cum-District Electoral Officer (Panchayat), Hisar, has conveyed vide his letter No. 197/Steno, dated 8.12.2004 that due to departmental examination to be conducted by the Haryana Government w.e.f. 13.12.2004 he is unable to work in the abovesaid blocks. City Magistrate-cum-District Electoral Officer, Hisar has requested that some other officer may be appointed as District Electoral Officer for the abovesaid Blocks.

Now, therefore, in view of the position explained above, the State Election Commissioner, Haryana in exercise of powers conferred by clause (1) of article 243K of the Constitution of India read with Section 212 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 and Rule 2(e) of the Haryana Panchayati Raj Election Rules, 1994 and all other powers enabling in this behalf delegates the powers to all the Deputy Commissioners-cum-District Election Officer (Panchayat ) in the State to appoint any HCS Officer, District Revenue Officer, S.D.O.(Civil) or any other Officer at District Headquarter vested with Collector's/Magistrate powers to perform the duty as District Electoral Officer for the preparation of voter lists for the conduct of Panchayat elections under intimation to the Commission.

**Dated Chandigarh**
**the 9th December, 2004.**

**CHANDER SINGH**
**State Election Commissioner,**
**Haryana.**

**STATE ELECTION COMMISSION HARYANA,**
**S.C.O. NO. 16-17, SECTOR 20-D,**
**CHANDIGARH.**

**NOTIFICATON**

NO. SEC/2E-III/2004/10773 Dated: 06.10.2004.

In exercise of powers vested under Sub-Section (1) of Section 212 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 and all other powers enabling it in this behalf, the State Election Commission, hereby appoints the Block Development and Panchayat Officers as Deputy District Electoral Officer for their concerned Block to assist the District Electoral Officers for preparation of list of voters of the wards of Sarpanches, Member of Gram Panchayats, Member Panchayat Samitis and Zila Paishads. The District Electoral Officer have already been appointed by the Commission.

The Claim and objections shall however, be disposed of by the concerned District Electoral Officer.

The State Election Commission further directs that if any post is or become vacant, the officer asked by State Government or concerned Deputy Commissioner to look after the work of such post during such vacancy shall be deemed to be the Deputy District Electoral Officer for purposes of the Haryana Panchayati Raj Election Rules, 1994 during the said period of vacancy.

The above notification supercedes notification issued by the State Election Commission vide its No. SEC/2E-III/2002/314-471 dated 3/4/2002and other notification issued in this regard from time to time.

Dated, Chandigarh
The 5th October, 2004

Chander Singh,
State Election Commissioner,
Haryana.

परिशिष्ट–चार

**आधार पत्रक**
**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित "विधान सभा निर्वाचक नामावली" में सम्मिलित ग्राम और मकान**

खण्ड

ग्राम पंचायत में सम्मिलित ग्राम :–
(1) ________________(2) ________________(3) ____________

| विधान सभा निर्वाचक का भाग अनुकमांक | नामावली में सम्मिलित ग्राम का नाम | मकान के नम्बर (क0 ___से ____ तक ) | मतदाताओ की कुल संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ____________ | 1.____________ | | ____________ |
| ____________ | 2. ____________ | | ____________ |
| ____________ | 3. ____________ | | ____________ |
| ____________ | 4. ____________ | | ____________ |

वार्डो का ब्यौरा

| कमांक | ग्राम का नाम | वार्ड कमांक | वार्ड के अन्तर्गत आने वाले मकान और मतदाता मकानों के नम्बर (_____से ______तक ) | मतदाताओ की कुल संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

परिशिष्ट –पांच

## मतदाता सूचि

ग्राम पंचायत ________________खण्ड ________________जिला ____________

ग्राम पंचायत के वार्डो की कुल संख्या पं0स0 वार्ड न0 1
मतदाता सूचि का सार विवरण जि0प0 वार्ड न0 1

| क0 | ग्राम का नाम | गृह संख्या<br>क0 ___से _____तक | मतदाता<br>क0 ___से _____तक | कुल मतदाता |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | | 1 से 15 तक | 1 से 125 तक | 125 |
| 2. | | 16/1 से 36 तक | 1 से 140 तक | 140 |
| 3. | | 37 से 55 तक | 1 से 153 तक | 153 |
| 4. | | 56 से 78 तक | 1 से 137 तक | 137 |
| 5. | | 79 से 98 बी तक | 1 से 174 तक | 174 |
| 6. | | 96 से 108 तक | 1 से 128 तक | 128 |
| 7. | | 109 से 130तक | 1 से 156 तक | 156 |
| 8. | | 130 से 148 तक | 1 से 110 तक | 110 |

अनुपुरूक सूचि में सम्मिलित मतदाताओं की संख्या

मूल सूचि में सम्मिलित मतदाताओं की संख्या

दावों तथा आपतियों के निराकरण के पश्चात (संशोधित अनुपूरक सूचि के आधार पर )

मूल सूचि में सम्मिलित मतदाताओं की संख्या में वृद्वि या कमी :–

वृद्वि __________________(+) _________________

कमी __________________(-) _________________

सकल वृद्वि या कमी ____________(+)____________

(-) ________________

पुनरीक्षित सूचि में शामिल कुल मतदाता

| क्र0 | विधान सभा मतदाता सूचि का भाग संख्या एवं क्रमांक | मकान नम्बर | मतदाता का नाम | पिता / पति का नाम | पुरूष / स्त्री | 1–1–200 को आयु | भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये पहचान पत्र का क्रमांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3989 | 26/593 | 1006 | संतोष | हवा सिंह | म0 | 45 | |
| 3990 | 594 | 1006 | रिशी राज | हवा सिंह | पु0 | 24 | |
| 3991 | 595 | 1006 | रविन्द्र | उमेद सिंह | पु0 | 23 | |
| 3992 | 596 | 1006 | दया सिंह | प्रहलाद सिंह | पु0 | 42 | |
| 3993 | 597 | 1006 | बला | दया सिंह | पु0 | 36 | |
| 3994 | 598 | 1006 | दया राम | प्रहलाद सिंह | पु0 | 38 | |
| 3995 | 599 | 1006 | रूकमण | दया राम | म0 | 35 | |
| 3996 | 600 | 1007 | राम दिया | मंगू राम | पु0 | 70 | |
| 3997 | 601 | 1007 | घायो | राम दिया | म0 | 62 | |
| 3998 | 602 | 1007 | ओम प्रकाश | राम दिया | पु0 | 35 | |
| 3999 | 603 | 1007 | कविता | ओम प्रकाश | म0 | 29 | |
| 4000 | 604 | 1007 | बाल किशन | होशियार सिंह | पु0 | 29 | |
| 4001 | 605 | 1007 | धर्मपाल | होशियार सिंह | पु0 | 28 | |

*परिशिष्ट–छः*

*ग्राम पंचायत की मतदाता सूचियों के प्रारभिंक प्रकाशन की सूचना नियम 9 के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विदित प्ररूप*

*कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी ______________________*

*स्थान ______________________ तारीख ______________________*

*सूचना*

*एतद् द्वारा सूचना दी जाती है किः–*

*हरियाणा पचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के उपबन्धों के अन्तर्गत खण्ड ______________________ के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियां तैयार हो गई है और तारीख ______________________ से तारीख ___________ तक निम्नलिखित स्थानों पर आम लोगो के निःशुल्क निरीक्षण के लिये उपलब्ध रहेगी।*

1. *कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी स्थान*

   *(खण्ड के अन्तर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों की सूचियां )*

2. *कार्यालय तहसील ————————————स्थान*

   *(तहसील के अन्तर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों की सूचियां )*

3. *कार्यालय, ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद्—————— खण्ड ————*

   *(सम्बन्धित ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद्, जैसे भी स्थिति हो, की मतदाता सूचि )*

4. *कार्यालय पंचायत समिति*
5. *कार्यालय जिला परिषद्*
6. *कार्यालय खण्ड निर्वाचन अधिकारी (पंचायत )एवं ————————————*

2. *प्रत्येक ग्राम पंचायत की मतदाता सूचि 1 जनवरी ———के आधार पर तैयार की गई है।*

3. *कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त अर्हकारी तारीख के सन्दर्भ में, मतदाता सूचि में किसी नाम को सम्मिलित किये जाने या किसी प्रविष्ट को संशोधित करने के लिये दावा करना चाहे या किसी व्यक्ति का नाम सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में अपना दावा या आपति करना चाहे वह इस सम्बन्ध में अपना दावा या आपति लिखित में तारीख ——————————से कार्यालय समय के दौरान प्रातः 10.00 बजे से सांय 5—00 बजे तक कभी भी (परन्तु तारीख ————————को, जो कि दावे और आपतियां प्रस्तुत करने की आखरी तारीख है, अपरान्ह 3.00 बजे तक उपरोक्त स्थानों पर तैनात प्राधिकृत कर्मचारी को या सीधे मुझे प्रस्तुत कर सकता है ) विहित समय के पश्चात किये जाने वाले दावों व आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।*

*हस्ताक्षर*
*जिला निर्वाचन अधिकारी*

पंचायत निर्वाचन परिशिष्ट–सात

**प्राधिकृत कर्मचारी की नियुक्ति के आदेश का प्ररूप**
**कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) __________**

कमांकः– स्थान :–
दिनांक :–

**आदेश**

विषय :– पंचायतों की मतदाता सूचि तैयार करने के लिये जिला निर्वाचन अधिकारी की सहायता के लिये प्राधिकृत कर्मचारी के रूप में नियुक्ति।

निम्नांकित कर्मचारी को खण्ड ––––––––––के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियां तैयार करने के कार्य में जिला निर्वाचन अधिकारी की सहायता के लिये नामनिर्दिष्ट और प्राधिकृत किया जाता है ।

2. प्राधिकृत कर्मचारी उक्त मतदाता सूचि का आम लोगों को निरीक्षण कराने, दावे तथा आपतियां प्रस्तुत करने के लिये कागज उपलब्ध कराने तथा उसे लिखने में मार्गदर्शन देने और प्रस्तुत दावों तथा आपतियों को प्राप्त कर उन्हें आवश्यक रिपोर्ट (प्रतिवेदन ) के साथ सम्बन्धित अधिकारी को प्रस्तुत करने का कार्य करेगें :–

| कमांक | प्राधिकृत नाम | कर्मचारी का विवरण पदनाम एवं कार्यालय | क्षेत्र का विवरण | कार्यालय/स्थान जहां बैठकर सौपां गया कार्य करेगें | अधिकारी का नाम तथा पदनाम जिसके साथ सम्बन्ध रहेंगें। |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

जिला निर्वाचन अधिकारी

(मोहर)

प्रतिलिपि :–

(1) जिला निर्वाचन अधिकारी एवं नगराधीश ________________

(2) उपमण्डल अधिकारी (नागरिक ) ____________________

(3) खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी __________________

(4) सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा __________(सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख) ______________को सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित है। वे कृपया दिनांक __________को प्रातः/अपराह्न.........

........बजे स्थान.................पर उपस्थित हो, जहां उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उनके कर्तव्यों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी जायेगी तथा आवश्यक निर्देश पुस्तिकाएं एवं फार्म आदि उपलब्ध करवाये जायेगें । उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि ––––––

(i) मतदाता की सूचि का निरीक्षण कराने और दावे तथा आपतियां प्राप्त करने के लिये जिस स्थान/कार्यालय में उनकी डियूटी लगाई गई है, वहां उन्हें प्रत्येक कार्यकारी दिन प्रातः 10.00 बजे से लेकर अपराह्न 5.00 बजे तक निरन्तर उपस्थित रहना है। इसमें कोताही एवं गंभीर कदाचारण माना जायेगा। जिसके लिये उनके विरूद्व कडी अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी ।

(ii) प्रकाशित सूचि, फार्मज और अन्य कागज पत्रों को वे संभालकर रखेगें और उसकी सुरक्षा और देखभाल के लिये वे स्वयं पूर्णतय जिम्मेवार होगें ।

(iii) वे अपेक्षित कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करे और वांछित सभी जानकारियां समय पर सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित करें।

(iv) ––––––––––(सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख) को सूचनार्थ अग्रेषित है। वे कृपया उपरोक्त कर्मचारी को दिनांक ––––––––से दिनांक ––––––––तक उसकी सामान्य डॅयूटी से मुक्त रखे। इस अवद्यि के पूर्व भी उसे प्रशिक्षण आदि के लिये जब भी बुलाया जाये, उसे उपस्थित होने के लिये ताकीद करें।

जिला निर्वाचन अधिकारी

*परिशिष्ठ–आठ*

## *जिला निर्वाचन अधिकारी की सहायता के लिये अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश का प्ररूप*

*कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी* _________________

*कमांक* _________________ *स्थान* _________________

*दिनांक* _________________

*विषय :–* *पंचायतों की मतदाता सूचि तैयार करने के लिये जिला निर्वाचन अधिकारी की सहायता हेतू अधिकारियों की नियुक्ति ।*

*निम्नांकित राजस्व अथवा विकासस्व अधिकारियों को, खण्ड* __________ *के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियां तैयार करने के लिये नियुक्त किया जाता है :–*

| *कमांक* | *अधिकारी का नाम तथा (राजस्व विकासस्व विभाग में धारित ) पद नाम* | *अधिकारी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतें* | *ग्राम पंचायत का नाम* |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

*(खण्ड के अन्तर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतें/संलग्न सूचि में उल्लिखित ग्राम पंचायतें )*

---

*उपर्युक्त अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी श्री* _________________*पदनाम* _________________ *के पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन में कार्य करेंगें,*

*हस्ताक्षर,*
*जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत )*

*प्रतिलिपि :–*

(1) *सम्बन्धित (राजस्व विभाग में धारित पदनाम) को सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित है, उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आवश्यक फार्मर्स/सामग्री और निर्देश पुस्तिका पृथकशः उपलब्ध कराई जायेगी।*

(2) *जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी एवं उप–जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत ) को सूचनार्थ अग्रेषित है, वे कृपया जिला निर्वाचन अधिकारी को इस कार्य में (स्टाफ संसाधनों आदि के सम्बन्ध में ) पूरा सहयोग दें ।*

(3) *जिला राजस्व अधिकारी ————————को सूचनार्थ अग्रेषित है, वे कृपया इस कार्य के सम्पादन में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाईयों का तत्परता से निराकरण कराएं ।*

(4) *नगराधीश एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ——————————को सूचनार्थ अग्रेषित है ।*

(5) *उपमण्डल अधिकारी (ना0) एवं जिला निर्वाचन अधिकारी —————————को सूचनार्थ अग्रेषित है ।*

*हस्ताक्षर*
*जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत )*

*पंचायत निर्वाचन* **परिशिष्ट–नौ**
**प्ररूप –क**

**मतदाता सूचि में नाम सम्मिलित किये जाने के लिये दावा–आवेदन**
**{नियम 10 (1) के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्ररूप –क"}**

सेवा में

जिला निर्वाचन अधिकारी,——————————
ग्राम पंचायत ____________________ खण्ड ____________
जिला _____________________ ।

महोदय,

मैं प्रार्थना करता/करती हूं कि उपरोक्त ग्राम पंचायत की मतदाता सूचि के वार्ड कमांक _______________ में मेरा नाम सम्मिलित कर लिया जाए।

मेरा नाम (पूरा नाम) ______________________ पुरूष/स्त्री _____________________

पिता/पति का नाम _______________________ गृह कमांक _____________________

ग्राम __________________ खंड _____________________ जिला _____________________

2. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि अपने सर्वोतम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :–

(1) मैं भारत का/की नागरिक हूं।
(2) गत 1 जनवरी को मेरी आयु _____________________ वर्ष और _____________________ मास थी।
(3) मैं उपर दिये गये पते वाले स्थान का/की सामान्यतः निवासी हूं ।
(4) मैने उक्त ग्राम पंचायत के किसी अन्य वार्ड के लिये मतदाता सूचि में अपना नाम सम्मिलित किये जाने के लिये आवेदन नहीं दिया है ।
(5) उक्त ग्राम पंचायत या किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूचि में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है ।

या

मेरा नाम ग्राम/नगर ______________________ जिला _____________________ जिसमें मैं नीचे उल्लिखित पते पर पहले सामान्यतः निवास कर रहा था/रही थी, की मतदाता सूचि में सम्मिलित है और मैं प्रार्थना करता/करती हूं कि उसे उक्त मतदाता सूचि से हटा दिया जाये :–

ग्राम _____________________ वार्ड कमांक ____________ ग्राम पंचायत _____________ खण्ड ___________________ जिला _____________________

नगर _____________________ वार्ड कमांक _________ तहसील __________________

जिला _____________________

स्थानः दावेदार के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
तारीखः

---

जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

---

**दावे का समर्थन**

मैं उस मतदाता सूचि में सम्मिलित एक मतदाता हूं जिसमें सम्मिलित किये जाने के लिये दावेदार ने आवेदन किया है। मेरा नाम उक्त ग्राम पंचायत के वार्ड कमांक ______की मतदाता सूचि में कमांक ___________पर दर्ज है ।

मैं इस दावे का समर्थन करता/करती हूं और इस पर हस्ताक्षर करता/करती हूं।

____________________
समर्थक के हस्ताक्षर
पूरा नाम ______________

टिप्पणीः– जो कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह एक दण्डनीय अपराध करता है ।

सुनवाई के लिये निर्धारित तारीख ____________________

(कार्यालय के लिये)
पावती

प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई।

तारीख ____________________ ____________________

हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
प्रस्तुतकर्ता

---

**आवेदन की रसीद तथा पेशी की तारीख की सूचना**
**(प्रस्तुतकर्ता के लिये )**

श्री/श्रीमति/कुमारी ____________________ जो ग्राम ____________________ का/की निवासी है, से प्ररूप में आवेदन प्राप्त हुआ।

2. आवेदन में सुनवाई जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा स्थान ____________________ में स्थित अपने कार्यालय में तारीख ____________________ को समय 10.30 बजे प्रातः की जायेगी, वे सुनवाई के लिये आवश्यक साक्ष्य/जानकारी के साथ उपस्थित हों।

तारीख ____________________ प्राधिकृत अधिकारी ____________________
ग्राम पंचायत ____________________
वास्ते जिला निर्वाचन अधिकारी ।

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप :–

(1) मामले में प्रार्थी को सुनवाई के लिये तारीख ____________________ को 10.30 बजे जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिये सूचित किया गया है ।

(2) प्रारभिंक जांच पडताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है :–

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

तारीख : ____________________ हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी
नाम ____________________
ग्राम पंचायत ____________________

---

**आवेदन के सम्बन्ध में पारित आदेश**

आदेश कमांक ____________________ तारीख ____________________

श्री/श्रीमति/कुमारी ____________________ जो ____________________ का/की निवासी है, द्वारा "प्ररूप–क" में प्रस्तुत आवेदन को–

(i) स्वीकार कर लिया गया है और उसका नाम उक्त ग्राम पंचायत के वार्ड कमांक ____________________ की मतदाता सूचि में सम्मिलित कर लिया गया है ।

(ii) निम्नलिखित कारण से नामजूंर कर दिया गया है :–

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

जिला निर्वाचन अधिकारी

मोहर

पंचायत निर्वाचन

परिशिष्ट–दस
प्ररूप –ख

**मतदाता सूचि की किसी प्रविष्टि के ब्यौरे पर आपति**
**{नियम 10 (1) के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित 'प्ररूप }**

सेवा में
जिला निर्वाचन अधिकारी,
ग्राम पंचायत ____________ खण्ड ___________
जिला _________________

महोदय,

मैं निवेदन करता/करती हूं कि उक्त ग्राम पंचायत के वार्ड क्रमांक ____________ की मतदाता सूचि की प्रविष्टि, जो क्रमांक ____________ पर ____________ के रूप में दी हुई है, शुद्ध नहीं है, कृप्या उसे शुद्ध करें जिससे वह निम्नलिखित रूप में पढी जाए :–

.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

स्थानः
तारीखः

मतदाता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
पूरा नाम—————————————

**टिप्पणी** :– जो कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है या जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह एक दण्डनीय अपराध करता है ।

सुनवाई के लिये निर्धारित तारीख : ____________

---

(**कार्यालय के लिये** )
पावती

प्रस्तुत दावे/आपति पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई ।

तारीखः

हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
प्रस्तुतकर्ता

---

**आवेदन की रसीद तथा पेशी की तारीख की सूचना**
**(प्रस्तुतकर्ता के लिये )**

श्री/श्रीमति/कुमारी ________________________ जो ग्राम ____________ का/की निवासी है, से प्ररूख–ख में आवेदन प्राप्त हुआ ।

2. आवेदन में सुनवाई जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा स्थान ____________ में स्थित अपने कार्यालय में तारीख ____________ को समय प्रातः 10.30 बजे की जायेगी, वे सुनवाई के लिये आवश्यक साक्ष्य/जानकारी के साथ उपस्थित हो ।

तारीख : ____________

प्राधिकृत कर्मचारी ____________
ग्राम पंचायत ____________
वास्ते जिला निर्वाचन अधिकारी

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप :–

(1) मामले में प्रार्थी को सुनवाई के लिये तारीख ______________को प्रातः 10.30 बजे जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिये सूचित किया गया है ।

(2) प्रारभिंक जांच पडताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है :–

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

तारीख : ____________________

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

नाम ____________________

ग्राम पंचायत ____________________

---

**आवेदन के सम्बन्ध में पारित आदेश**

आदेश कमांक ____________________ तारीख ________________

श्री/श्रीमति/कुमारी ____________________जो ग्राम ______________ का/की निवासी है, द्वारा प्ररूप–ख में प्रस्तुत आपति को–

(i) स्वीकार कर लिया गया है और सुसंगत प्रविष्टि को शुद्ध कर दिया गया है, जो अब निम्नलिखित रूप में पढी जाएगी :–

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______

(ii) निम्नलिखित कारण से नामजूंर कर दिया गया है :–

______________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________

जिला निर्वाचन अधिकारी

मोहर

पंचायत निर्वाचन

परिशिष्ट–ग्यारह
प्रारूप –ग

**मतदाता सूचि में नाम सम्मिलित किये जाने पर आपति**
**{नियम 10 (1) के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्ररूप–ग"}**

सेवा में

जिला निर्वाचन अधिकारी————————————,
ग्राम पंचायत ______________खण्ड _______
जिला ______________

महोदय,

मैं उपरोक्त ग्राम पंचायत की मतदाता सूचि के वार्ड कमांक _______में कमांक _______पर श्री/श्रीमति/कुमारी _______ का नाम सम्मिलित किये जाने पर निम्नलिखित कारण से आपति करता/करती हूं :–

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________

2. मैं घोषणा करता/करती हूं कि उपर वर्णित तथ्य मेरे सर्वोतम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं। उक्त ग्राम पंचायत की मतदाता सूचि में मेरा नाम निम्नलिखित रूप में सम्मिलित हुआ है :–

पूरा नाम ______________ पुरूष/स्त्री ______________
पिता/पति का नाम ______________ वार्ड कमांक ______________
मतदाता कमांक ______________

तारीख _______ आपतिकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
पूरा डाक पता _____________________

---

**आपति का समर्थन**

मैं उक्त मतदाता सूचि में सम्मिलित एक मतदाता हूं, जिसमें वह नाम दिया हुआ है जिस पर आपति की गई है। मेरा नाम वार्ड कमांक _______की मतदाता सूचि में कमांक _______ पर दर्ज है । मैं इस आपति का समर्थन करता/करती हूं और इस पर हस्ताक्षर करता/करती हूं।

_____________________
मतदाता के हस्ताक्षर
पूरा नाम ______________

---

**टिप्पणी** :– जो कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह एक दण्डनीय अपराध करता है ।

---

सुनवाई के लिये निर्धारित तारीख : _______

(कार्यालय के लिये)

**पावती**

प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई।

तारीख : _______ हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
प्रस्तुतकर्ता

---

**आवेदन की रसीद तथा पेशी की तारीख की सूचना**
**(प्रस्तुतकर्ता के लिये )**

श्री/श्रीमति/कुमारी ______________जो ग्राम ______________का/की निवासी है, से "प्ररूप –ग" में आवेदन प्राप्त हुआ ।

2. आवेदन में सुनवाई जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा स्थान ______________ में स्थित अपने कार्यालय में तारीख _______ को समय 10.30 बजे प्रातः की जाएगी। वे सुनवाई के लिये आवश्यक साक्ष्य/जानकारी के साथ उपस्थित हो ।

तारीखः

प्राधिकृत कर्मचारी ______________
ग्राम पंचायत ____________________
वास्ते जिला निर्वाचक अधिकारी --------

---

प्राधिकृत कर्मचारी की रिपोर्ट :–

(1) मामले में प्रार्थी को सुनवाई के लिये तारीख ______________ को प्रातः 10.30 बजे बजे जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिये सूचित किया गया है ।

(2) प्रारभिंक पूछताछ के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है :–

________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________

तारीख :_______

____________________
हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी
नाम ______________
ग्राम पंचायत _______

---

परिशिष्ट–बारह

ग्राम पंचायत ______________________ खण्ड _______________

## दावे और आपतियों का दैनिक विवरण

तारीख ________

भाग–1 दावे

(नाम जोडने के लिये )

| कमांक | दावेदार का नाम तथा पिता/पति का नाम | वार्ड और ग्राम का विवरण जिसमें नाम जोडे जाने का दावा किया गया है । वार्ड कमांक | ग्राम | जांच/सुनवाई के लिये निर्धारित पेशी तारीख |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

**भाग–2 आपति**

**(प्रविष्टियों के संशोधन के लिये )**

| क्रमांक | आपतिकर्ता का नाम तथा पिता/पति का नाम | प्रविष्टि का विवरण जिसमें संशोधन किया जाना है । | | | जांच/सुनवाई के लिये निर्धारित पेशी तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| | | वार्ड कमांक | ग्राम | प्रविष्टि कमांक | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

## भाग–3 आपति
## (नाम विलोपित किये जाने के लिये )

| क्रमांक | आपतिकर्ता का नाम तथा पिता/पति का नाम | प्रविष्टि का विवरण जिसे विलोपित किया जाना है | | | | जांच/सुनवाई के लिये निर्धारित पेशी तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | मतदाता का नाम तथा पिता/पति का नाम | वार्ड कमांक | ग्राम | प्रविष्टि कमांक | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

कार्य स्थानः
तारीख :

हस्ताक्षर
प्राधिकृत कर्मचारी

***परिशिष्ट–तेरह***

*खण्ड ______________________ के ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचि ________________ वर्ष ______________________ दावे और आपतियों का प्रकरण रजिस्टर ______________________*

*परिशिष्ट–चौदह*

*कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी ––––––––––*

*प्रकरण कमांक ––––––––––––* *स्थान ––––––––––*
*तारीख –––––––––*

*प्रति,*

*(आक्षेपित व्यक्ति का नाम और पता )*

____________________________

____________________________

____________________________

*सूचना*

*यह सूचित किया जाता है कि खण्ड ––––––––––––की ग्राम पंचायत ––––––––––––की मतदाता सूचि में वार्ड कमांक ––––––––(ग्राम ––––––––––––) के अन्तर्गत सरल कमांक ––––––––––––पर आपका नाम शामिल किये जाने पर /आपसे सम्बन्धित प्रविष्टि के ब्यौरे पर निम्नांकित मतदाता ने आपति की है :–*

*आपतिकर्ता का नाम और पता*

______________________

______________________

______________________

*आपति के आधार, संक्षेप में इस प्रकार है :–*

______________________

______________________

______________________

2. *उपरोक्त आपति पर मेरे द्वारा तारीख –––––––––––––––को समय 10.30 बजे प्रातः मेरे कार्यालय में, जो कि स्थान ––––––––––––––––––––में स्थित है, सुनवाई की जायेगी।*

*एतद् द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आप ऐसे साक्ष्य के साथ जो आप प्रस्तुत करना चाहे उक्त सुनवाई के समय उपस्थित हो। अन्यथा मामले में एक पक्षीय कार्यवाही करके उसका निराकरण कर दिया जायेगा ।*

*मोहर*

*हस्ताक्षर :*
*नाम :*
*जिला निर्वाचन अधिकारी*

*यह प्रमाणित किया जाता है कि मैने सूचना की तामील (आक्षेपित व्यक्ति का नाम ) ____________________पर वैयक्तिक रूप से या उसके निवास स्थान पर सूचना चस्पा करके आज तारीख ——————————————को कर दी है ।*

*हस्ताक्षर :*
*पूरा नाम :*

*(तामील करने वाला कर्मचारी )*

*नोटः— यदि सूचना की तामील डाक द्वारा की जाये तो रसीद इसके साथ संलग्न कर दी जाये ।*

*सूचना की तामील रसीद*

*प्रकरण कमांक :*

*सुनवाई की तारीख की सूचना प्राप्त हुई*

*तारीख :*

*हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान*
*पूरा नाम व पता*
*(आक्षेपित व्यक्ति )*

परिशिष्ट–पन्द्रह

## अनुपूरक मतदाता सूचि

ग्राम पंचायत ————————————————खण्ड ——————————————

(1) परिवर्धन वर्ष ——————————————

| कमांक | वार्ड कमांक | ग्राम | गृह कमांक | मतदाता का नाम | पिता/पति का नाम | पुरूष या महिला | आयु |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

(2) संशोधन

| मूल सूचि | मतदाता का नाम | दर्ज प्रविष्ट (जिसे संशोधित किया जाना है) | संशोधित प्रविष्टि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

(3) विलोपन

मूल सूचि का कमांक मतदाता का नाम

***परिशिष्ट–सौलह***

## *कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला ————————*

## *मतदाता सूचि के अतिंम प्रकाशन की सूचना*

*जनसाधारण की जानकारी के लिये यह अधिसूचित किया जाता है कि जिला ————————————के खण्ड ————————————के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियां हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के अनुसार 1 जनवरी ———के सन्दर्भ में संशोधनों सहित तैयार कर प्रकाशित कर दी गई है और मेरे कार्यालय तथा सम्बन्धित खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी के कार्यालय में निरीक्षण के लिये उपलब्ध है ।*

*तारीख :*

*स्थान :* *हस्ताक्षर*

*जिला निर्वाचन अधिकारी*
*पता :*